कुरुक्षेत्र

अगस्त: 1981 मूल्य: 1 रु.

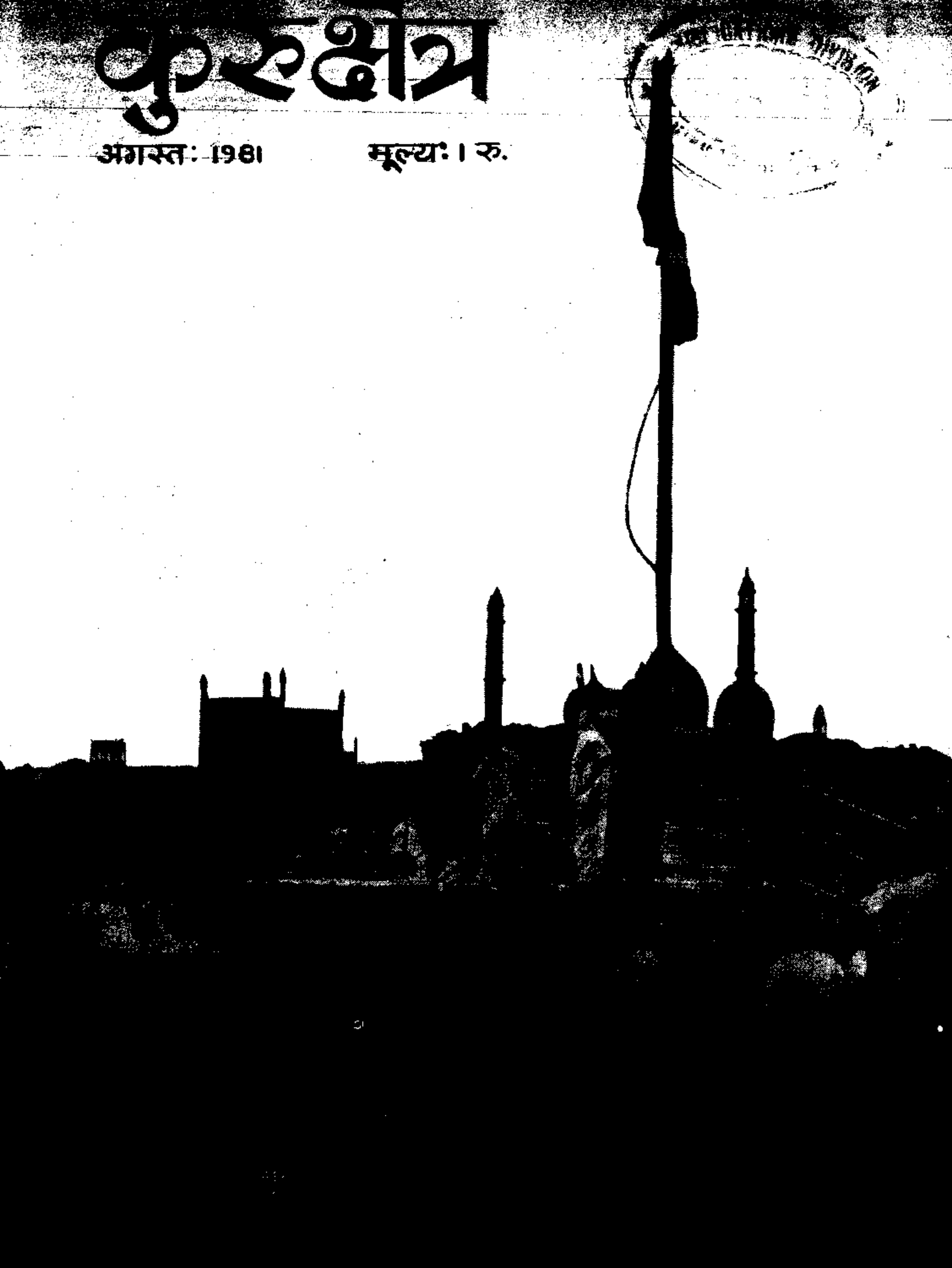

संपादकीय

पर्यावरण संरक्षण : एक चुनौती

विज्ञान ने मानव जाति के लिए सुख-सुविधाओं के अनेकानेक साधन खोज निकाले हैं परन्तु कैसी विडम्बना है कि सुख उसके लिए मृगमरीचिका ही बना हुआ है। जहां एक ओर विकास का प्रकाश फैला है वहां दूसरी ओर सारा पर्यावरण दूषित हो गया है। अन्न, जल, वायु, आकाश सभी तो जहरीले तत्वों से व्याप्त हैं। ऐसे विषाक्त वातावरण में कब तक जीवन टिक सकता है इससे दुनिया के सभी कर्णधारों का मत्था ठनक उठा है और अब ये सभी इस समस्या का समाधान खोज निकालने के लिए उतावले हैं। आठ-नौ वर्ष पहले स्वीडन में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें इस समस्या पर पहली बार संगठित रूप से विचार किया गया। प्रति वर्ष पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है परन्तु अभी तक ऐसे कोई कारगर उपाय काम में नहीं लाए गए जिससे यह कहा जा सके कि समस्या का समाधान सन्निकट है।

जहां एक ओर इस समस्या का मूल कारण औद्योगिक विकास है, वहां दूसरी ओर जनसंख्या वृद्धि भी एक बहुत बड़ा कारण है। कल-कारखानों के धुआं, गैस आदि पदार्थों से हवा, पानी और धरती तीनों ही दूषित होते हैं जबकि बढ़ी हुई जनसंख्या को बसाने के लिए वनों को काट कर बस्तियां बसाई जाती हैं। इससे प्रकृति में असन्तुलन पैदा होता है। बाढ़ें आती हैं, भूक्षरण होता है तथा परमाणु परीक्षणों की धूलि अबाधगति से दूसरे देशों तक जा पहुंचती है जिससे तरह-तरह की बीमारियां फैलती हैं।

बताया जाता है कि जापान के ओसाका और तोक्यो नगरों में प्रदूषण माताओं के दूध में प्रवेश कर गया था और नवजात शिशु माताओं के जीवनदायी दूध का पान करने से मृत्यु का ग्रास बनने लगे थे। अन्य देशों में भी यह स्थिति आ सकती है। अतः जरूरी है कि सभी देश पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में अग्रसर हों। संयुक्त राष्ट्र ने इस सम्बन्ध में कई कार्यक्रम चलाए हैं, जिनमें समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रचार करना, खतरों की चेतावनी देना तथा इनके समाधान के सुझाव देना आदि शामिल हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे अपने ही देश में हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई के विरुद्ध चिपको आन्दोलन चला है और वन संरक्षण और वृक्षारोपण की अनेक योजनाएं चालू हैं। सालाना वनोमहोत्सव भी मनाए जाते हैं। परन्तु जहां तक कारखानेदारों का सम्बन्ध है, उनकी रुचि अधिकतर पूंजी इकट्ठा करने में ही होती है। उनसे अनुरोध है कि वे पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने में सरकार को सहयोग दें। वैसे तो पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका सौर ऊर्जा का प्रयोग है परन्तु यह अभी कुछ काल तक सम्भव नहीं। अतः कारखानेदारों को अपने कारखानों में कार्बन के फिल्टर लगा देने चाहिए जिससे कार्बन को छान कर हवा बाहर फेंकी जा सके।

हमारा देश अभी विकास की दिशा में बहुत आगे नहीं बढ़ा है परन्तु विकास की प्रक्रिया तेजी से चालू है और हो सकता है कि कालान्तर में विकास के अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यदि हम समय रहते पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सचेत और सक्रिय नहीं रहे तो इसकी गम्भीर चुनौती हमारे सामने आ सकती है। □

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण पुनर्निर्माण का प्रमुख मासिक

वर्ष 26 | श्रावण-भाद्रपद 1903 | अंक 10

इस अंक में : पृष्ठ संख्या

करिश्मे विज्ञान के हरकारे विनाश के — 2
ब्रजलाल उनियाल

जल संसाधन तथा सिंचाई विकास — 5
राधाकान्त भारती

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हिसार — 7

सहकारी आंदोलन की प्रगति में सहकारी शिक्षा की भूमिका — 10
विमला बी० गुप्ता ✻ राकेश कुमार अग्रवाल

गांवों में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं — 13

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के काम-काज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा — 15
विजय कुमार कोहली

ग्रामीण नेताओं के आचरणात्मक आयाम — 16
बी० विजयलक्ष्मी

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम : ग्रामीण जनशक्ति की सक्रियता का द्योतक — 18

गांधीवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकता — 21
आर० आर० दिवाकर

हमारा लोकतन्त्र — 23
डा० आर० के० दत्त शास्त्री

चाय साथी—आम जनता के लिए वरदान — 24
के० सी० सांवल

मौन सन्देश (कहानी) — 26
बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

स्थायी स्तम्भ

कविता : साहित्य समीक्षा : केन्द्र के समाचार : पहला सुख निरोगी काया : इत्यादि।

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी), ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

एक प्रति 1 रु० : वार्षिक चंदा 10 रु०

●

दूरभाष : 382406

सम्पादक : महेन्द्र पाल सिंह
उपसम्पादक : राधे लाल
आवरण पृष्ठ : परमार

करिश्मे विज्ञान के

हरकारे विनाश के

ब्रजलाल उनियाल

विज्ञान की अभूतपूर्व प्रगति हो रही है। मानव चांद पर पहुंच गया । कई करिश्मे हो रहे हैं पर मनुष्य के स्वास्थ्य को हर तरफ से जोखिम है । इस बारे में सोचने वाले भी कम हैं । न तो यहां कोई दूरद्रष्टा मनीषी गांधी है और न मानव ही विज्ञान के विध्वंसक पहलू के बारे में सचेष्ट है क्योंकि वह तात्कालिक लाभ की ओर दौड़ रहा है, वह न कल की सोच रहा है और न भावी पीढ़ी के बारे में । ज्यों-ज्यों हम औद्योगीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, प्रकृति से दूर हट रहे हैं । सामंजस्य नहीं है—विज्ञान प्रगतिशील नहीं है, प्रगति वैज्ञानिक नहीं है । सब तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण है ।

स्वस्थ देश का अस्वस्थ मानव

कुछ समय पूर्व इकट्ठे किए गए आंकड़ों से पता चला है कि दुनिया में सबसे अधिक समृद्ध यानी आर्थिक दृष्टि से समृद्ध मानव के स्वास्थ्य को कैसे वर्तमान आसुरी समृद्धि लील रही है । कहा जाता है कि वहां 100 अमेरिकनों में 97 अमेरिकन किसी न किसी रोग के चंगुल में है। कहा जाता है कि अमेरिका में 10 प्रतिशत लोगों के पेट में फोड़ा होता है, लगभग 16 प्रतिशत नपुंसकता के शिकार होते हैं । अस्पताल के रोगियों में एक तिहाई से भी अधिक लोग मानसिक रोगी होते हैं । यहां तक कहा जाता है कि ब्रिटेन और अमेरिका का आई० क्यू० 1.2 प्वांइट की दर से गिरता जा रहा है ।

आणविक प्रदूषण

कोई अजीब से अंगों वाला बच्चा पैदा होता है तो उस अजूबे को अखबार वाले सुर्खियों में उछालते हैं पर हीरोशिमा में आए दिन ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जिन्हें आदमी का बच्चा कहना मुश्किल है । किसी के माथे के बीच में आंख, पर शंकर भगवान् जैसी नहीं, बिल्कुल अनुपातहीन, तो किसी बच्चे के पांव पशु जैसे, किसी का दिमाग दिवालिया तो कोई बच्चा मरा हुआ । वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शायद तीस पुश्तों के बाद ही इस हालत में सुधार हो पाए ।

अगस्त 1945 की वह प्रलयकारी सुबह जब अणु बम अचानक ही हीरोशिमा पर गिरा था । उसके परिणाम तो जो हुए वह जग जाहिर हैं पर उसके दूरगामी परिणाम भी कम भयंकर नहीं है । रेडियोधर्मी धूल से वातावरण इतना खराब हो गया है कि आज तक उसके परिणाम भुगत रहे हैं वे लोग जिनका लड़ाई से कोई दूर-दराज़ का भी सरोकार नहीं । इतना ही क्यों ? इस धूल से खून का या हड्डी का कैन्सर भी हो जाता है । और आज लगभग 35 साल बाद भी कई लोग रोगग्रस्त पाए जाते हैं ।

यह तो बात है 35 साल पुरानी पर आज तो विध्वंसक शक्ति और भी भयंकर है इंसान के पास । अन्दाजा लगाइए वह विस्फोट शक्ति थी बीस हजार टन की पर आज के विध्वंसक बमों की शक्ति दो करोड़ टन से भी अधिक है यानी उससे एक हजार गुनी अधिक । अगर कहीं एक ऐसा बम पड़ गया तो सैंकड़ों वर्गमील के इलाके के कल-कारखाने, मकान, पुल सभी नष्ट हो जाएंगे और लाखों लोग उसी समय मर जाएंगे । वायुमंडल और धरती का वातावरण जहरीला हो जाएगा । धरती की कोख बांझ हो जाएगी और न मालूम कब तक वैसी रहेगी ।

जापान के दक्षिण में मार्टल एक द्वीप है । इस पर अमेरिका का अधिकार है । एक बार

कुछ मजदूर उस द्वीप के समुद्र में घूम रहे थे। उस के अन्य मजदूरों ने देखा मानो पश्चिम में सूरज उग रहा है। उन्हें अचरज हुआ कि उससे कुछ बादल फैले और उनकी नाव पर कुछ बर्फ सी गिरने लगी। उन्होंने अपनी नाव को वहां से हटाया। रास्ते में उन्हें कै, अजीर्ण, शरीर में जलन, फफोले, फोड़े होने लगे। डाक्टरों को दिखाया गया। जापान के विशेषज्ञों ने बताया कि हाइड्रोजन बम के विस्फोट का यह परिणाम है। कुछ व्यक्ति मर गए, कुछ अपंग हो गए। नदी का पुल टूट गया।

यह बात तो है लड़ाई के लिए बनाए जाने वाले बमों आदि की, पर अब तो बड़ी-बड़ी परमाणु भट्टियां बनने लगी हैं। जहाज और पनडुब्बियां आणविक शक्ति से चलने लगे हैं। बिजली भी इससे बनने लगी है। रेडियो-धर्मी अवशिष्ट जगह-2 छूट रहे हैं। हवा और पानी के जरिए बरबादी के ये हरकारे दुनिया भर में फैल रहे हैं। वैज्ञानिकों के सामने अब यह एक जबर्दस्त समस्या पैदा हो गई है कि रेडियोधर्मी अवशिष्टों का किस तरह विसर्जन हो। कुछ तो संसाधित किए जा चुके हैं पर हजारों टन सामग्री का संसाधन करना बाकी है। अनुमान किया जाता है कि तरल अवशिष्ट छः करोड़ गैलन से कहीं अधिक जमा हो गया है। अमेरिका में ये टैंक फार्मों में रखे तो जाते हैं पर इनकी मजबूती की गारंटी नहीं। कभी-कभी तो यह भी देखने में आया है कि उन गड्ढों की, जहां वे दबाए गए थे, दीवारें टूट गईं और अवशिष्ट आस-पास की नदी में बह गए। कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि तीस वर्ष के बाद प्रभाव बहुत बुरे हो सकते हैं।

पिछले दिनों अमेरिका में ऐसा रिसाव होते-होते बचा। पर तहलका तो मच ही गया।

अभी तक तो आदमी अपने तात्कालिक सुख-सुविधाओं में मस्त है और यह नहीं देख पाता कि वह अपनी भावी पीढ़ियों के लिए क्या कुछ छोड़े जा रहा है।

ध्वनि का प्रदूषण

जागरण चल रहा है। झांझ-मृदंग बज रहे हैं। रतजगा चल रहा है। खुद नहीं सोए पर लाउडस्पीकर लगा-लगाकर लोगों को भी बरबस "भक्त" बनाने की होड़ है। उधर पड़ोस में रेडियो चल रहा है। शादी हो रही है। भला ऐसे मौके पर आप क्यों चूकते हैं। बगैर लाउडस्पीकर के आपकी हेटी हो जाएगी। हवाई जहाज का शोर, मोटरों का शोर, कल-कारखानों का शोर, भोंपुओं का शोर, रेलगाड़ियों का शोर—गरज कि शोर ही शोर है। शोर नापने के लिए डेसीबल इकाई मानी जाती है। 5 डी० बी० की ध्वनि हल्की होती है पर वायुयान की ध्वनि 100 डी० बी० होती है। कहा जाता है कि 140 डी० बी० से आमतौर पर सिर दर्द होने लगता है। अमेरिका में चूहों पर किए गए परीक्षणों से मालूम हुआ है कि ज्यादा शोर होने से गर्भ पर बुरा असर पड़ता है। कहीं-2 ऐसा भी देखा गया है कि जिन माताओं को शोर में रखा गया उनके बच्चों को गश पड़ते थे। चूहों में वाइरस तथा कैन्सर पैदा हुआ।

हवा का प्रदूषण

बहुत बड़े शहरों और औद्योगिक नगरों में सभी चीजें सुलभ हैं पर एक चीज बहुत ही दुर्लभ है। यह अनमोल चीज प्रकृति ने हमें मुफ्त दी है। यह है प्राण-वायु (आक्सीजन) पर आजकल के बड़े नगरों में कार्बनडाइआक्साइड की मात्रा में बहुत वृद्धि हो गई है। कारखाने धुआं छोड़कर हवा को दूषित कर रहे हैं। भूगर्भीय और आणविक ईंधन के उपयोग ने विकट समस्या पैदा कर दी है। तेल के द्वारा समुद्रों का प्रदूषण हो रहा है। दुनिया भर में हवा का प्रदूषण विकराल रूप धारण कर रहा है। स्विट्ज़रलैंड में डविस नामक एक गांव में 1900 से 1965 तक वातावरण में धूल की मात्रा 80 प्रतिशत बढ़ी। 1930 में शिकागो में साल में बीस दिन ऐसे होते थे जब धुआं ऊपर उड़ने के बदले नीचे बैठता था। 1948 में तो यह अवधि चार गुनी हो गई जब धुआं नीचे बैठता था।

टोकियो में सबसे ज्यादा प्रदूषण पाया जाता है। वहां काम पर तैनात पुलिस वालों के लिए जगह-2 आक्सीजन के सिलिंडर लगे रहते हैं ताकि आक्सीजन की कमी होने पर वे वहां राहत पा सकें।

चार घंटों तक ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात रहने वाले लन्दन के एक सिपाही के फेफड़ों में इतना जहर भर जाता है जितना कि पूरी 100 या इस से भी अधिक सिगरेटें पीने पर भरता है। टोकियो में तो कभी-2 स्कूली बच्चों को दूषित हवा को छानने के लिए एक तरह की जाली पहननी पड़ती है। इस दूषित हवा के कारण दीर्घगामी परिणाम हुए हैं और इस कुहरे से मृत्यु संख्या में वृद्धि हुई है। बड़े कारखानों के 10% मजदूर शोर के कारण बहरे हो जाते हैं।

लोगों ने तो यह भी अनुमान लगाया है कि यदि हमने इस दुनिया को इन प्रदूषणों से न बचाया तो सारी पृथ्वी के जलवायु में परि-वर्तन होगा। प्राणिमात्र के लिए भयंकर खतरा पैदा हो जाएगा।

जल का प्रदूषण

दामोदर नदी का पानी काला पड़ गया है और चलमार नदी का मटमैला पानी एक समस्या बन रहा है। और तो और पावन गंगा का पानी तक वाराणसी में बहुत ही गंदा हो गया है। यमुना का भी बुरा हाल है जो रोज 20 करोड़ लीटर गंदगी पीती है। बड़े-2 शहर अपनी गंदगियों को नदियों में विसर्जित करते हैं। देश में 14 बड़ी नदियां हैं जो कि देश की 85 प्रतिशत पेयजल की आवश्यकता को पूरा करती हैं पर सभी नदियां मैला पी पीकर मुटिया रही हैं और एक भीषण भविष्य की चेतावनी दे रही हैं।

छठी योजना में 20 करोड़ रुपये की राशि गैर सरकारी संगठनों को वातावरण की रक्षा करने वाले संगठनों के लिए रखी गई है।

आजकल कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ और तरल को नालों या नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। यही कारण है कि नदियों का जल भी दूषित हो रहा है। आजकल कृत्रिम रसायनिक पदार्थों का निर्माण भारी मात्रा में हो रहा है। उनके अवशिष्ट पानी में घुल जाते हैं और पानी के शुद्धिकरण से भी नहीं निकल पाते। पानी में ही रह जाते हैं और उसे दूषित बना देते हैं। यह भी पाया गया है कि कुछ नदियों में रासायनिक खाद तथा फुहारों के अवशिष्ट रिसरिस कर अन्त में नदियों को दूषित बना रहे हैं। उन नदियों में अब मछलियां नहीं के बराबर हैं। खेतों से रिसरिस कर झीलों और तालाबों के पानी भी दूषित हो रहे हैं।

स्वीडन की नदियों में अमल तत्त्व बढ़ गया है। रूस और ब्रिटेन में भी इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। नगरों का मलमूत्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है। आमतौर पर दस

मील नीचे पहुंचने तक पानी अपने आप शुद्ध हो जाता है पर बड़े पैमाने पर ऐसा करने से उसमें ऐसी क्षमता कम हो जाती है। कई नदियों में नाइट्रेट ज्यादा होने लगा है। पानी में 10 पी० पी० एम० से ज्यादा नाइट्रेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नाइट्रेट से श्वास की तकलीफ हो सकती है।

समुद्र में सबसे ज्यादा प्रदूषण खनिज तेलों से होता है। एक बार बिहार के बरौनी तेल शोधन कारखाने से तेल का छीजन होने लगा और वह तेल गंगा में पहुंच गया। कई दिनों तक मुंगेर शहर का पानी बन्द रहा।

कीटनाशी दवाएं

आजकल कीटनाशी दवाओं का फसलों पर भुरकाव और छिड़काव किया जाता है। इसके परिणाम भी खतरनाक साबित हुए हैं। आजकल डी० डी० टी० और कीटनाशी दवाओं का भारी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। डी० डी० टी० यकृत में तथा चर्बी में जाकर काफी खतरनाक मात्रा में शरीर में फैल सकती है।

सन् 1942 तक मनुष्य के यकृत में डी० डी० टी० नहीं मिलता था, परन्तु 1954 में इसकी मात्रा मिलने लगी है। जांच से पता चला है कि सभी विकसित देशों में बहुत कम लोग डी० डी० टी० आदि से मुक्त हैं। कई खाद्य पदार्थों में इसका असर बना रहता है जो कि कभी-कभी धोने से भी नहीं जाता।

एल्फैल्फा की फसल पर डी० डी० टी० फुहारी गई। जिन मुर्गियों ने उस फसल के बीज खाए उनके अंडों में डी० डी० टी० पाई गई। जिन गायों ने उसकी घास खाई उनके दूध तक में डी० डी० टी० का प्रभाव मिला। और तो और जिन महिलाओं ने ऐसी गायों का दूध पिया उन महिलाओं के दूध तक में इसका असर था।

हंगरी, स्वीडन और डेनमार्क में तो डी० डी०टी० के उपयोग को कानूनी तौर पर निषिद्ध कर दिया गया है। सोवियत रूस में भी ऐसी ही कुछ दवाओं का प्रयोग निषिद्ध है।

जंगल की गुहार

पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोफिल (वर्णहरित) नाम का पदार्थ रहता है। इसमें एक ऐसी अद्भुत क्षमता है कि जिससे वह सूर्य की रोशनी की मदद से दवा में भी कार्बनडाईआक्साइड का उपयोग करता है। और कार्बोहाइड्रेट और आक्सीजन तैयार करता है। कार्बोहाइड्रेट पेड़ में रह जाता है और पत्तियों द्वारा आक्सीजन (प्राणवायु) वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। वनस्पति और प्राणियों की जीवन क्रिया में एक भिन्नता यह है कि वनस्पति वायु से जहरीली कार्बनडाइआक्साइड का उपयोग कर आक्सीजन को वायुमंडल में लौटाती है जबकि मनुष्य और प्राणी आक्सीजन का उपयोग कर जहरीली कार्बनडाइआक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इससे जाहिर है कि वायुमंडल को स्वच्छ बनाने के लिए वनस्पति का स्थान कोई दूसरी चीज नहीं ले सकती। उद्योगों की वजह से और नगरीकरण से भारी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। वायुमंडल "अस्वस्थ" बन रहा है और मानव "अस्वस्थ" बन रहा है। दुर्भाग्य यह है कि ठेकेदार अपनी सहूलियत से सैकड़ों पेड़ एक साथ काटते हैं क्योंकि जंगलों में एक ही साथ वे काटने लायक होते हैं। इसलिए पहाड़ नंगे हो रहे हैं। मिट्टी का कटाव हो रहा है। बाढ़ें आ रही हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम कुदरत के साथ यह खिलवाड़ बन्द कर दें। वनों की गुहार सुनें और देश को बाढ़ों से बचाएं। "स्वस्थ" जंगल ही मानव के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

भारत की देन

यहां यह लिखना असंगत न होगा कि हाल ही में रूस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि गाय के दूध में रेडियोधर्मिता को रोकने की सबसे ज्यादा शक्ति है। जिन घरों में गाय का गोबर लीपने के काम आता है वहां रेडियोविकिरण का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता। गाय के घी को आग में डालकर धुआं उड़ाएं तो वायुमंडल में रेडियोविकिरण का सबसे कम असर होगा। इस प्रकार यज्ञों की महिमा असंदिग्ध है।

मानसून के दिनों में अनाजों में कीट और फफूंदी को रोकने के लिए नीम की पत्तियों का प्रयोग कीटनाशी दवाओं से कहीं अच्छा है। कीटनाशी दवाओं का प्रभाव अनाज पर पड़ता है पर नीम की पत्तियों का प्रभाव केवल अच्छा ही होता है।

फिर क्या हो

विनाश के इन बढ़ते चरणों को कैसे रोका जाए? गांधी जी सोचते थे कि मानवता के ऋण का उपाय है विकेन्द्रीकरण। छोटी-2 इकाइयां हों, स्वावलम्बी हों, श्रम मानव करे, मशीनों का अंधाधुंध इस्तेमाल न हो, केवल वहां इस्तेमाल करें जहां ये अपरिहार्य हों। वे कहते थे कि गांव एक पूरा स्वतंत्र जनतंत्र हो। प्राथमिक आवश्यकताएं स्वयं पूरी करें अन्य आवश्यकताओं के लिए परस्परावलम्बी हों। समाज सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। क्या जरूरत है कि रूस और अमेरिका में अणु शस्त्रास्त्रों के अम्बार लगाए जाएं। दूसरी बड़ी ताकतें उनका अनुकरण करें और यह विनाशकारी होड़ विकासशील देशों तक पहुंच जाए।

संभव है दुनियां गांधी जी के रास्ते पर न चल पाए तब वैज्ञानिक ही इस चुनौती का मुकाबला करें। सभी तरह के प्रदूषणों को किस तरह से मुक्ति मिले, यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वैज्ञानिकों को अपने चिन्तन की दिशा "विध्वंस" और "सहूलियत" के रास्ते से मोड़कर "उत्तरजीवितता" और "स्वास्थ्य" की ओर लगानी चाहिए। इस संबंध में आन्द्रेडी० सकारोव, रूसी हाइड्रोजन के निर्माता लिखते हैं कि आणविक युद्ध, अकाल, सड़ती हुई संस्कृति तथा अधिकारतन्त्र के शासक द्वारा संभवतः संस्कृति का सत्यानाश हो जाए। अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग से ही हम संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। विकसित राष्ट्रों को चाहिए कि वे 15 वर्ष तक अपनी राष्ट्रीय आय का बीस प्रतिशत विकासशील देशों के विकास के लिए दें, पर उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज है।

यह संतोष का विषय है कि भारत सरकार ने पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ विशेष ध्यान दिया है और इसके निराकरण के लिए अलग ही एक मंत्रालय खोल दिया है और उसके लिए मंत्री की भी नियुक्ति कर दी गई है।□

ब्रजलाल उनियाल
8-लक्ष्मीबाई नगर,
नई दिल्ली।

जल संसाधन तथा सिंचाई विकास

राधाकान्त भारती

कृषि प्रधान देश भारत के लिए जल एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है। भारत में सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने में जल तथा जल की भूमिका सराहनीय रही है। इस संसाधन की सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रति वर्ष इसका इस्तेमाल होता है तथा बरसात के मौसम में वर्षा के द्वारा इसकी पूर्ति हो जाती है। किन्तु भारत को मानसून जलवायु में वर्षा जल की राशि सब जगह समान रूप में प्राप्त नहीं होती है। इसके अलावा साल के 3–4 महीनों में होने वाली मानसून वर्षा की अनियमितता एक समस्या बन गई है। मानसून प्रकार की जलवायु के कारण ही कहीं अधिक वर्षा से भयंकर बाढ़ आ जाती है तो दूसरी जगह पर वर्षा की कमी के कारण सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। देश की कृषि को मानसून की ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव से बचाने के लिए सिंचाई और जल संसाधनों के विकास का कार्यक्रम तैयार किया जाता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का ध्यान कृषि विकास के साथ ही सिंचाई और जल संसाधनों के विकास की ओर गया। भारत के विभिन्न भागों में खेती तक जल पहुंचाने के लिए योजनाएं बन गई हैं और बाढ़ से बचाव के लिए तटबन्ध तथा जल निकास मार्गों का निर्माण किया जाने लगा। लेकिन देश की बढ़ती हुई आबादी तथा किसानों की मांग को पूरी तरह से सम्पन्न रख सकने में अब तक हम समर्थ नहीं हो पाए हैं। फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर निर्मित अनेक सिंचाई योजनाओं से लोगों को काफी लाभ पहुंचा है और बाढ़ तथा सूखे के संकट से भी राहत मिली है। अब केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने की महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। इसके अन्तर्गत सन् 2000 तक देश में 1130 लाख हेक्टेयर की सिंचाई सुविधा प्रस्तुत करने का कार्यक्रम है। इस प्रकार अब तक प्राप्त सिंचाई क्षमता को अगले 20 वर्षों में दुगनी कर दिए जाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अगले दो दशकों में औसत रूप में प्रति-वर्ष 20.50 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त करनी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1951 में विकास कार्यक्रमों की शुरूआत की गई थी। उस समय 172 बड़ी तथा 865 मध्यम सिंचाई योजनाओं को पूरा करने का काम आरम्भ किया गया। इनमें से 46 बड़ी तथा 517 मध्यम प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। इनमें से 50 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का काम भी पूरा होने को है और उनसे लाभ मिलने लगा है। अभी 172 निर्माणाधीन परियोजनाओं में से 62 परियोजनाओं का काम 1976 के पहले शुरू किया गया था। इनमें से 54 परियोजनाओं छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और बाकी 8 परियोजनाओं को 7वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा कर दिया जाएगा। पहले शुरु किए गए इन 62 परियोजनाओं से आंशिक लाभ मिलने आरम्भ हो गए हैं।

बृहद, मध्यम और लघु सिंचाई

1980–85के लिए नई पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस शताब्दी के अन्त तक 113 मिलियन हेक्टेयर की समूची क्षमता का सृजन करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा गठित बृहद और मध्यम सिंचाई संबंधी कार्यकारी दल ने 10,970 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी, जिसमें केन्द्रीय सेक्टर का 970 करोड़ रुपये का परिव्यय भी शामिल है और 7.5 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा था। यह सिफारिश राज्य सरकारों के साथ जुलाई 1980 में हुई क्षेत्रीय बैठकों में किए गए विचार-विमर्श पर आधारित थी। लेकिन साधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने बृहद और मध्यम सिंचाई सेक्टर के लिए केन्द्रीय सेक्टर के 90 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित 8448 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है और उस सेक्टर में 5.7 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लक्ष्य का सुझाव दिया है। इसी प्रकार लघु सिंचाई और कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी कार्यकारी दल ने लघु सिंचाई (जिसमें भूतल जल शामिल है) के लिए 1970 करोड़ रुपये के परिव्यय की और अयाकट (कमान क्षेत्र) विकास कार्यक्रम के लिए 679 करोड रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी। योजना आयोग ने इन परिव्ययों में थोड़ी सी कमी करके इन दोनों क्षेत्रों के लिए क्रमशः 1810 करोड़ रुपये और 856 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया है। 1980–85 की अवधि के लिए लघु सिंचाई सेक्टर के अन्तर्गत 8 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

जल संसाधनों के विकास का कार्यक्रम

सिंचाई क्षमता के संबंध में राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने राज्य में किए

जा रहे प्रयत्नों के अलावा, सिंचाई मंत्रालय ने केन्द्रीय जल आयोग की सहायता से जल भंडारों के निर्माण और जल के अन्तर्राज्यीय अन्तरण की स्कीम तैयार की है जिससे कुल सिंचाई क्षमता में 30 से 35 मिलियन हेक्टेयर तक की वृद्धि होगी । सिंचाई जल-विद्युत उत्पादन, बाढ़-नियंत्रण और नौचालन के बहुप्रयोजनी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से विभिन्न नदी प्रणालियों को जोड़ने और बाढ़-जल को काबू में करने के लिए जल भंडारों का निर्माण करने के लिए जल संसाधनों के विकास का एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया है और उसके बारे में राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद् में भी विचार-विमर्श किया गया है । इस बारे में आम सहमति है कि इस स्कीम के सम्बन्ध में और आगे कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है । ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

1979–80 के वर्ष में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के न आने के कारण देश के अनेक भागों में भीषण सूखा पड़ा था लेकिन आलोच्य वर्ष के दौरान अगस्त तक अच्छी बारिश हुई पर उसके बाद बहुत कम वर्षा हुई । इसके परिणाम-स्वरूप देश के कुछ भागों में विशेष रूप से कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि में अर्ध-सूखे के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्र के लगभग 50 से 60 प्रतिशत तक के भाग का पोषण संचयन-जलाशयों से होता है, इसलिए यह जरूरी है कि 1980–81 के रबी के मौसम में इन जलाशयों के जल का उपयोग इष्टतम तरीके से और इस मंत्रालय द्वारा 1979–80 में जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों के आधार पर किया जाए जिन्हें इस वर्ष फिर से जारी किया गया है ।

बाढ़ों और चक्रवातों से बचाव

पिछले साल जहां एक ओर देश के कुछ भागों में सूखा पड़ा, वहां दूसरी ओर देश के अन्य भागों में भारी से अति भारी वृष्टि हुई जिसके कारण बाढ़ें आईं और जल-निकास अवरुद्ध हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गुजरात (सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र), उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, मणिपुर, आन्ध्रप्रदेश में और उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में फसलों और सम्पत्ति को काफी बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची और कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा । पंजाब, मेघालय, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कुछ भाग भी बाढ़ के जल में डूब गए । राज्यों द्वारा अब तक दी गई सूचना के आधार पर इस वर्ष कुल 853 करोड़ रुपये की क्षति हुई है । लगभग 114 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ों से प्रभावित हुआ ।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी कार्यकारी दल ने बाढ़ नियंत्रण सेक्टर के लिए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए 1592.57 करोड़ रुपये के परिव्यय की सिफारिश की थी । लेकिन योजना आयोग ने 1980–85 की अवधि के लिए इस सेक्टर के लिए 1045.10 करोड़ रुपये के परिव्यय का सुझाव दिया है। इसमें 870.10 करोड़ रुपये का परिव्यय राज्यों के लिए और 175 करोड़ रुपये का परिव्यय केन्द्रीय सेक्टर के लिए है ।

अनेक प्रयत्नों के बावजूद स्वतंत्रता के 30 वर्षों के बाद भी हमारे देश में केवल 25 करोड़ एकड़ उपज क्षेत्र के पानी का ही इस्तेमाल हो पाया है । जबकि इससे दुगनी जल राशि बिना किसी इस्तेमाल के बहकर समुद्र में चली जाती है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि यथाशीघ्र राष्ट्रीय स्तर पर जल संसाधनों के समुचित विकास की योजना लागू की जाए। भारत में उपलब्ध जल संसाधनों के विकास के लिए पहले भी विचार किया जा चुका है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध इंजीनियर और तत्कालीन सिंचाई और बिजली मंत्री डा० के० एल० राव की गंगा और कावेरी नदियों को जोड़ने की महत्वपूर्ण योजना उल्लेखनीय है। इसी प्रकार केप्टन दस्तूर ने भी नहर माला योजना का ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इस दिशा में वर्तमान सिंचाई सचिव श्री सी०सी० पटेल और केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष श्री रामाशीष घोष ने देश के अनेक अनुभवी इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों से विचार विमर्श कर जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय योजना का प्रारूप प्रस्तावित किया है।

अब सिंचाई मंत्रालय तथा केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों ने जल साधन विकास का जो राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है, उसमें यथासम्भव अधिक से अधिक बांध बनाने की व्यवस्था है ताकि पानी को न केवल लाभकारी इस्तेमाल के लिए इकट्ठा रखा जाए बल्कि बाढ़ से होने वाले नुकसान को भी कम किया जाए और एकत्र किए गए पानी को सूखे वाले इलाकों और पिछड़े इलाकों में पहुंचाया जाए, जहां पीने के पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है । इस प्रकार मूलतः यह बहुद्देशीय योजना है और इसके अन्तर्गत सिंचाई, पन बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण और जल-संचार आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के स्रोतों और साधनों के विकास का लक्ष्य है ।

अनुमान है कि इस पर कुल मिलाकर लगभग पांच खरब रुपये खर्च होंगे। यह योजना न केवल तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक है बल्कि सिंचाई सुविधाओं के विकास पर खर्च होने वाली वर्तमान धनराशि की तुलना में भी ज्यादा नहीं है । इस योजना में जिस टेक्नालाजी के इस्तेमाल का प्रस्ताव है, उसकी पहले से ही जानकारी है और उसका सफलतापूर्वक प्रयोग हमारे देश में हो चुका है। इसमें अब परीक्षण के अनुसंधान की जरूरत नहीं है ।

इस योजना के दो प्रमुख हिस्से हैं । पहला तो यह है कि हिमालय की नदियों का विकास, जिसके लिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों तथा उनकी मुख्य सहायक नदियों के पानी को इकट्ठा करने के लिए भारत और नेपाल में बड़े-बड़े जलाशयों के निर्माण की योजना शामिल है दूसरे हिस्से के अन्तर्गत प्रायद्वीप नदियों के विकास की योजना है। यह चार भागों में विभक्त है । पहले हिस्से के अन्तर्गत महानदी और गोदावरी के अतिरिक्त जल को दक्षिण में कृष्णा-पेन्नार और कावेरी जैसी कम पानी वाली नदियों में ले जाने

[शेष पृष्ठ 9 पर]

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, हिसार

समान्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इस जिले के लघु/सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से इनको बैंकों से ऋण तथा एजेंसी के द्वारा अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक स्कीम पर लघु कृषक को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषक एवम् खेतिहर मजदूरों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। परन्तु किसी भी स्कीम के तहत 3000 रुपये से अधिक धनराशि अनुदान के रूप में नहीं दी जाती।

लघु सिंचाई योजना

1–**नलकूप** :– यह योजना केवल लघु/सीमान्त कृषकों के आर्थिक उत्थान के लिए है। इसके लिए हिसार जिले के भूमि विकास बैंक, हिसार, हांसी, फतेहाबाद तथा टोहाना कृषकों को अपनी भूमि में नलकूप लगाने हेतु 14,000/- रुपये का ऋण प्रदान करते हैं। ऋण के लिए भूमि विकास बैंक कृषक की भूमि को रहन रखता है। इसके लिए एजेंसी लघु कृषक को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषक को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अनुदान प्रदान करती है, परन्तु अनुदान की यह राशि अधिकतम 3000/- रुपये हो सकती है। वर्ष 1980-81 में इस स्कीम के अन्तर्गत 91 नलकूप लगाए गए और 1.87 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

2–**झलार** :—यह स्कीम भी लघु/सीमान्त कृषकों के कल्याण के लिए है जिन कृषकों की जमीन नहर के स्तर के ऊंचाई पर होती है और उनकी नहर के द्वारा सिंचाई करना सम्भव नहीं होता उसकी सिंचाई झलार लगा कर की जाती है। झलार के लिए भूमि विकास बैंक ऋण प्रदान कराता है और एजेंसी लघु कृषकों को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अनुदान देती है। वर्ष 1980-81 में 10 झलार लगाई गई और उन पर 4000/- रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में दी गई।

3–**भूमि समतल** :— हिसार जिले की जमीन असमतल है जिस पर सिंचाई करना सम्भव नहीं होता, परन्तु लघु सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण, वे जमीन को समतल नहीं करवा सकते हैं, इसलिए इस स्कीम के अन्तर्गत जमीन को समतल करवाने के लिए लघु कृषकों को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। भूमि समतल का कार्य हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के ट्रैक्टरों द्वारा किया जाता है। निगम कृषकों से उनका हिस्सा ले लेता है और अनुदान का बिल एजेंसी को भेज देता है। वर्ष 1980-81 में 150 हेक्टेयर भूमि को समतल किया गया और 38,000 रुपये का अनुदान दिया गया।

नलकूप, झलार और भूमि समतल का कार्य सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, हिसार की देख-रेख में किया जाता है और वही अधिकारी प्रमाण-पत्र देता है कि कार्य सम्पन्न हो गया है।

कृषि

1–**स्प्रे पम्प** :— आज के युग में कृषि में अनेक बीमारियां लग जाती हैं और लघु/सीमान्त किसानों की भूमि की जोत छोटी होने के कारण उन्हें अनाज की फसल बोने से लाभ भी नहीं होता यदि अपनी छोटी भूमि की जोतों पर सब्जियों उगाई जाए तो उन्हें अधिक आय प्राप्त हो सकती है परन्तु सब्जियों में बीमारी का ज्यादा प्रकोप होता है, इसलिए इन कृषकों को अनुदान पर स्प्रे पम्प दिए जाते हैं। वर्ष 1980-81 में 385 स्प्रे पम्प दिए गए जिन पर 31,000/- रुपये का अनुदान दिया गया।

2–**अच्छे कृषि यंत्र** :— उन्नत कृषि के लिए अच्छे कृषि यन्त्रों का होना अति आवश्यक है। परन्तु लघु/सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा कमजोर होने के कारण, वे अच्छे यन्त्र नहीं खरीद सकते। इसलिए अच्छे कृषि यन्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए लघु/सीमान्त कृषकों को उनको खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में 661 अच्छे कृषि यन्त्र दिए गए और उन पर 41,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया गया।

3–**प्रदर्शन प्लाट** :— आज के युग में कृषि संस्थाओं में बड़े अनुसंधान किए जा रहे हैं और बड़ी महत्वपूर्ण तकनीक खोज की गई है। परन्तु भारत का ज्यादातर कृषक समुदाय अनपढ़ होने के कारण, इन खोजों के लाभ से वंचित रह जाता है। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए लघु/सीमान्त कृषकों के खेतों में प्रदर्शन प्लाट लगाए जाते हैं, क्योंकि कृषक सुनने में विश्वास नहीं करता बल्कि देखने में (प्रयोगात्मक में) अधिक विश्वास करता है प्रत्येक प्लाट का आकार 2 कनाल से 4 कनाल का होता है और उस पर प्रति मौसम 200/- रुपये खर्च किए जाते हैं। वर्ष 1980-81 में 200 प्रदर्शन प्लाट लगाए गए जिन पर 29,000 रुपये की धनराशि, बीज, खाद और दवाइयों के रूप में खर्च की गई।

4–**खाद पर अनुदान** :— लघु/सीमान्त कृषकों की आर्थिक दशा कमजोर होने के फलस्वरूप वे रसायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते जिसके कारण उन्हें कृषि से कम आय होती है। लघु/सीमान्त कृषकों को रसायनिक खाद का उपभोग बढ़ाने के लिए केवल फासफेट खाद पर ही अनुदान दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम राशि 100/- रुपये प्रति मौसम होती है। वर्ष 1980-81 में 1477 कृषकों को 2,45 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

5–**अनाज सुरक्षित रखने की टंकी** :— गांवों में अनाज को सुरक्षित रखने के आधुनिक गोदाम (भंडार) नहीं हैं, जिसके फलस्वरूप चूहे आदि प्रर्याप्त मात्रा में अनाज को खराब कर देते हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एजेंसी लघु/सीमान्त किसान तथा खेतिहर मजदूर को अन्न सुरक्षित रखने के लिए अनुदान पर लोहे की टंकी प्रदान की जाती है। इन टंकियों का निर्माण कृषि उद्योग निगम द्वारा किया जाता है। वर्ष 1980-81 में 668 अनाज की टंकियों पर 52,000/- रुपये का अनुदान दिया गया।

6–**ट्रेनिंग कैम्प** : भारत का कृषक अनपढ़ होने के कारण वह पुराने तरीकों से ही कृषि करता है जिसके फलस्वरूप कृषि से कम उपज होती है। आज के युग में कृषि के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है, और कृषि के नए तरीके, अच्छे बीज, रसायनिक खाद का प्रयोग, उन्नत कृषि यन्त्र, फसलों का हेर-फेर, अनाज को सुरक्षित ढंग से रखना, व्यापारिक फसलों का लाभ, जैसे :—कपास, गन्ना, मिर्च तथा तम्बाकू आदि और सीमान्त खेतों में पेड़ लगाना आदि के सम्बन्ध में लघु/सीमान्त कृषकों को ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैम्प की अवधि तीन दिन की होती है और प्रत्येक किसान को 10 रुपये प्रति दिन वजीफा दिया जाता है। प्रत्येक ट्रेनिंग कैम्प में 50 किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। वर्ष 1980-81 में 99 ट्रेनिंग कैम्पों पर 1.27 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

पशु पालन

1–**भैंस (दुधारु पशु)** : लघु/सीमान्त कृषक तथा खेतिहर मजदूर व अन्य वर्ग की आय में वृद्धि करने के लिए, इनको दुधारू पशु देकर, गौण धन्धा दिया गया है। भैंस खरीदने के लिए बैंक से ऋण की व्यवस्था की गई है और इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ता को अधिकतम 1000/- रुपये का अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1980-81 में 1441 भैंसों पर 13.19 लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

2–**डेयरी यूनिट** : वर्ष भर में दूध जारी रखने के लिए, इस स्कीम के अन्तर्गत एक भैंस तथा एक जर्सी गाय दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु/ कृषक को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषक व खेतिहर मजदूर को 33⅓ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य कृषकों को जर्सी गाय का दूध देने की क्षमता से अवगत कराना है। वर्ष 1980-81 में 96 डेयरी यूनिटों पर 1.92 लाख लाख रुपये का अनुदान दिया गया।

3–**ऊंट तथा ऊंट गाड़ियां** : आज के युग में तेल के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं इसलिए स्थानीय परिवहन माल ले जाने के लिए ऊंट गाड़ी एक बहुत अच्छा साधन है। दूसरे ऊंट खेती करने के काम भी आता है। यह स्कीम व्यावहारिक रूप से बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुई है क्योंकि ऊंट गाड़ी से प्रतिदिन औसतन आय 40 रुपये होने की सम्भावना है। वर्ष 1980-81 में 606 ऊंट तथा 314 गाड़ियों पर 4.86 लाख की अनुदान राशि दी गई।

4–**मुर्गीपालन** : कृषि तथा मजदूरी के अतिरिक्त आय में वृद्धि करने के लिए मुर्गीपालन एक बहुत ही लाभकारी गौण व्यवसाय है। इस स्कीम के अन्तर्गत लघु सीमान्त कृषकों के लिए 100 चूजे तथा भूमिहीन मजदूरों के लिए 200 चूजे दिए जाते हैं। मुर्गियों के लिए खुराक भी दी जाती है। इनकी बीमारी की देखभाल भी की जाती है। इनके अंडे बेचने की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 1980-81 में 200 मुर्गीखाने स्थापित किए गए और इन पर 4.49 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

5–**सूअरपालन** : समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए सूअरपालन के अन्तर्गत तीन गर्भवती सूअरियां दी जाती हैं। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में लघु/सीमान्त कृषक भी अपनी आय में वृद्धि करने के लिए सूअरपालन व्यवसाय अपनाने लग गए हैं। वर्ष 1980-81 में 122 सूअरपालन यूनिटें स्थापित की गई हैं और इन पर 4.41 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

6–**भेड़पालन** : समाज के गरीब वर्ग के उत्थान के लिए भेड़पालन व्यवसाय बहुत ही लाभकारी है। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ता को 20 भेड़ एक मेंढ़ा दिया जाता है। इसके अन्तर्गत 4000 रुपये का ऋण दिया जाता है और लघु कृषकों को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों तथा खेतिहर मजदूरों को 33⅓ प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इनकी ऊन भी सरकार ही अच्छे भाव पर खरीदती है। वर्ष 1980-81 में 406 भेड़-पालन की यूनिटें स्थापित की गई हैं और इन पर 5.28 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है।

महिला कल्याण

समाज का आर्थिक विकास तब तक पूर्ण नहीं समझा जाता जब तक कि नारी वर्ग का विकास नहीं किया जाता। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। नारी वर्ग को कपड़ा सीना, बुनाई-कढ़ाई आदि सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त, इनको शिक्षित भी किया जाता है और घर में सफाई रखने का महत्व भी बताया जाता है।

जिले में 70 सिलाई केन्द्र (प्रत्येक खण्ड विकास में 7 सिलाई केन्द्र) चल रहे हैं। प्रत्येक सिलाई केन्द्र में लघु/सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन मजदूरों की 25 नारियों/लड़कियों को कपड़े सिलने, बुनाई तथा कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जाती है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को 50 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है। ट्रेनिंग की अवधि 6 माह की होती है। ट्रेनिंग के पश्चात् अनुदान पर सिलाई मशीन दी जाती है। वर्ष 1980-81 में 3100 सिलाई मशीनों पर 3.57 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई है।

ग्रामीण उद्योग

इस स्कीम के अन्तर्गत 6 ट्रेनिंग व उत्पादन केन्द्र चलाए गए हैं। इन केन्द्रों में गरीब परिवारों के बच्चों को व्यावहारिक ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ट्रेनिंग लेने के पश्चात् वे अपना ही व्यवसाय स्थापित कर सकें। ट्रेनिंग के दौरान इनको 100 रुपये प्रति माह वजीफा दिया जाता है। और ट्रेनिंग की अवधि 4–6 माह की होती है। वर्ष 1980-81 में 177 को ट्रेनिंग दी गई और 1.44 लाख रुपये का वजीफा दिया गया।

ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए लघु कृषक को 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषक तथा भूमिहीन मजदूरों को 33 ⅓ प्रतिशत ग्रामीण उद्योग स्थापित करने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत 3000 रुपये की अधिकतम अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष 1980-81 में 113 ग्रामीण उद्योग स्थापित किए गए और इन पर 1.81 लाख रुपये की अनुदान राशि दी गई।

ट्राइसेम

ग्रामीण बेरोजगार युवकों को अपने व्यवसाय स्थापित करने के लिए, विभिन्न व्यवसायों में व्यावहारिक ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग की अवधि 6 माह होती है और ट्रेनिंग के दौरान 100/- रु० प्रति माह वजीफा दिया जाता है। बाद में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुदान दिया जाता है और बैंक से ऋण की व्यवस्था की जाती है। वर्ष 1980-81 में 45 युवकों को ट्रेनिंग दी गई और 27,000/- रु० वजीफा दिया गया है।□

●

जल संसाधन तथा सिंचाई विकास ● ● ● (पृष्ठ 6 का शेषांश)

की योजना है। इससे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश और तामिलनाडु में सूखे वाले इलाकों को सिंचाई सुविधाएं जुटाई जा सकेंगी। साथ ही उड़ीसा और मध्य प्रदेश को बिजली उत्पादन और सिंचाई के लाभ दिए जा सकेंगे।

ब्रह्मपुत्र नदी बोर्ड

ब्रह्मपुत्र बेसिन में बाढ़ की समस्या की विशालता और उसकी जटिलता को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 के अनुसार, जो संसद द्वारा अगस्त, 1980 में पारित किया गया था, ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन कर रही है। इस बोर्ड का एक महत्वपूर्ण कार्य ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण की एक मास्टर योजना तैयार करना है, जो ब्रह्मपुत्र बेसिन के जल संसाधनों के बहुद्देशीय विकास का अभिन्न अंग होगी। यह बोर्ड इस विशाल नदी के जल संसाधनों के विकास के लिए बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण भी करेगा।

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग

राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा देश की बाढ़ समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक बहु-विषयक कार्यप्रणाली तैयार करने के उद्देश्य से इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए 1976 में की गई थी, अपनी रिपोर्ट मार्च, 1980 में प्रस्तुत की। चूंकि बाढ़-नियंत्रण राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों के विचार जानने और उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के के लिए आयोग की रिपोर्ट अभी राज्य सरकारों के पास भेजी गई है और इन सिफारिशों के स्वीकार किए जाने के लिए और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और अभिकरणों के कार्य को समन्वित करने के लिए सिंचाई मंत्रालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की गई है। □

बूंद बूंद से घट भरे

अल्प बचत से राष्ट्र की समृद्धि

सहकारी आन्दोलन की प्रगति में सहकारी शिक्षा की भूमिका

विमला वी० गुप्ता ❋ राकेश कुमार अग्रवाल

किसी भी आन्दोलन अथवा प्रणाली की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि उससे सम्बन्ध व्यक्तियों ने उसको किस सीमा तक समझा है। अन्यथा प्रत्येक व्यक्ति किसी भी आन्दोलन को अपने ऊपर लादा हुआ अनुभव करता है। सहकारी आन्दोलन स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं को सुलझाने के लिए चलाया जाने वाला आन्दोलन है, सरकार द्वारा थोपा हुआ नहीं। भारत में भले ही सरकार द्वारा दी जाने वाली अत्यधिक सुविधाओं और हस्तक्षेप के कारण यह आन्दोलन बाहर से सहकारी आन्दोलन दीखता हो, फिर भी सदस्य, प्रबन्ध कर्मचारी व सामान्य उपभोक्ताओं को सहकारिता की व्यापक जानकारी के लिए सहकारी शिक्षा का विकास अनिवार्य है जिससे जन सामान्य में स्वतः ही सहकारिता के प्रति रुचि उत्पन्न हो और वह सहकारी आन्दोलन के विकास में अपना पूर्ण योग दे सके।

जीवन में विकास क्रम में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ शिक्षा भी नितान्त आवश्यक है। शिक्षा किसी भी कार्य को और भी अधिक प्रभावशाली बना देती है। इसके विपरीत, अशिक्षा शोषण का पोषण करती है। व्यक्ति अशिक्षा के कारण हीन भावना से ग्रसित हो कर समाज का एक निष्क्रिय अंग बन जाता है। और समाज विकास के कार्यों से सदैव कटा हुआ रहता है। उसका कार्य क्षेत्र स्वयं के परिवार तक ही सीमित हो जाता है जिसकी समस्याओं को निपटाना ही उसके लिए बोझ दिखाई देता है।

यदि किसी स्तर पर सहकारी आन्दोलन असफल हुआ है तो उसका मुख्य कारण है सामान्य व सहकारी शिक्षा का अभाव। अशिक्षा के कारण व्यक्ति सहकारी आन्दोलन का ही नहीं अपितु सम्पूर्ण समाज का सक्रिय घटक बनने से वंचित रह जाता है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में वास करती है। सहकारिता आन्दोलन मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न रूपों में विकसित हो रहा है। किन्तु निरक्षरता के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में बाधा दिखाई देती है।

अशिक्षा से उत्पन्न दोष

सहकारी शिक्षा की कमी विभिन्न स्तरों पर सहकारी संस्था में लगे व्यक्तियों को अलग-अलग रूप में प्रभावित करती है जिसका अन्तिम प्रभाव सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन पर पड़ता है।

सदस्य सहकारी संस्था के निर्माता होते हैं। अशिक्षा के कारण अधिकांश सदस्य नाममात्र के सदस्य बन कर रह जाते हैं। सिद्धान्तों, नियमों व उप-नियमों को न पढ़ने और समझने के कारण वे अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति उदासीन रहते हैं जिसका लाभ उठा कर कुछ स्वार्थी व्यक्ति संस्था को मनमाने ढंग से संचालित करके गबन आदि अनियमितताओं द्वारा आर्थिक स्थिति को बिगाड़ देते हैं और सम्पूर्ण सहकारी आन्दोलन अनावश्यक रूप से बदनामी से जुड़ जाता है।

सदस्यों से सम्पर्क में कठिनाई आती है। अशिक्षा के कारण लिखित सूचनाओं को पढ़ने-समझने में असमर्थ रहते हैं। इसी प्रकार मीटिंग में मात्र श्रोता बन कर रहते हैं, कोई उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कभी आगे नहीं आ पाते और न ही उनको संस्था की कार्य-प्रणाली व आर्थिक संरचना व स्थिति कभी समझ में आती है।

प्रबन्ध द्वारा सहकारी संस्था के सम्पूर्ण कार्य का संचालन किया जाता है। इसलिए संस्था की सफलता प्रबन्ध की योग्यता और क्षमता पर निर्भर करती है। पर्याप्त ट्रेनिंग व शिक्षा के अभाव के कारण नियंत्रण में ढील और आवश्यक समन्वय की कमी रहती है। परिणाम स्वरूप प्रबन्ध अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अधिकतम कार्य लेने में असमर्थ रहता है, जिससे प्रबन्धकीय व्यय में वृद्धि हो जाती है जो अनेक बार हानि का कारण बनती है।

अनेक बार अशिक्षा के कारण प्रबन्ध समिति में अनजाने ही गुटबन्दी प्रारम्भ हो जाती है, जिसके कारण अनावश्यक संघर्ष की स्थिति बन जाती है। अन्त में दुःखद परिणाम संस्था को भुगतने पड़ते हैं।

कर्मचारी सहकारी संस्था की संगठनात्मक जंजीर की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। सहकारी शिक्षा के अभाव में यह कड़ी कमजोर रहती है और कर्मचारियों में कार्य के प्रति निष्ठा, लगन, ईमानदारी व कुशलता का अभाव रहता है। सहकारी भावना विकसित न होने के कारण संस्था से अपनत्व नहीं जुड़ता। विक्रेताओं में विक्रय कला की कमी या वाक् पटुता, सद्व्यवहार और सजावट आदि की कमी के कारण बिक्री में बाधा रहती है।

उपभोक्ता अशिक्षा के कारण सबसे अधिक शोषण का शिकार होता है। मिलावट, मूल्य-वृद्धि, नकली वस्तु, कम माप-तोल आदि कपट पूर्ण व्यवहारों से अनभिज्ञ रहता है। बाजार में होने वाले

परिश्रमों का फल भी उसको नहीं हो पाता। मध्यस्थों के हाथ की कठपुतली बन कर रहता है। सहकारी शिक्षा के अभाव में व्यक्ति के सोचने का दायरा सीमित व संकुचित ही रहता है। वह सहकारी संस्थाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित रह जाता है।

शिक्षा की उपयोगिता

नैतिक मूल्यों के आधार पर शोषण मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने में सहकारी आन्दोलन महत्वपूर्ण उपकरण सिद्ध हो सकता है। सहकारी शिक्षा जन सामान्य को नई चेतना जाग्रत कर आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन और वितरण की दृष्टि से आत्म निर्भर बना देती है। उपयोगिता के आधार पर सहकारी शिक्षा को चार भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सदस्य और सहकारी शिक्षा : सहकारी समितियों के माध्यम से व्यक्तियों को साक्षर बना कर इतनी योग्यता पैदा कर देनी चाहिए कि वे सहकारिता के सिद्धान्तों, नियमों व उप-नियमों को पढ़ व समझ सकें। साक्षर सदस्य अधिक सक्रिय रहते हैं जिसका लाभ सहकारी समिति को ही प्राप्त होता है। सहकारी शिक्षा के प्रभाव से जहां समिति के प्रति रुचि उत्पन्न होती है वहीं सदस्यों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधरती है। और वे अधिक जागरूक हो जाते हैं।

प्रबन्ध और सहकारी शिक्षा : सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण से सहकारिता के आधार पर संस्था का संचालन सरलता पूर्वक किया जा सकता है। अनेकानेक गुणों व क्षमताओं का विकास होता है। कुशल नेतृत्व के माध्यम से अभिप्रेरणा द्वारा आवश्यक नियंत्रण व समन्वय स्थापित करने की कला विकसित होती है। सम्पूर्ण संगठन सुचारु रूप से क्रियाशील रहता है। अधीनस्थ कर्मचारियों से सन्तोषजनक कार्य लेना बिना सहकारी शिक्षा के कठिन है।

कर्मचारी और सहकारी शिक्षा : सहकारी शिक्षा कर्मचारियों को कर्तव्य और दायित्व का बोध कराती है। वे अधिक निष्ठा, लगन, योग्यता व ईमानदारी के साथ संस्था का कार्य करते हैं। प्रशिक्षण द्वारा कार्य करने का सही तरीका सीख जाते हैं। जिससे समय, शक्ति व धन की बचत होती है। उपभोक्ता से इनका सबसे निकट का सम्पर्क होता है, अतः उपभोक्ता की सन्तुष्टि इनके व्यवहार पर निर्भर करती है और संस्था की सफलता उपभोक्ता की सन्तुष्टि पर।

उपभोक्ता और सहकारी शिक्षा : सहकारी शिक्षा उपभोक्ता को निजी व्यापारियों व अन्य मध्यस्थों द्वारा किए जाने वाले शोषण से मुक्त कराती है। विविधतापूर्ण द्रुतगामी व्यावसायिक गतिविधियों में उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता खो कर रह गई है। सही समय पर सही वस्तु सही मूल्य पर प्राप्त करना आज असम्भव सा हो गया है। ऐसे में सहकारी शिक्षा उपभोक्ता में यह एहसास जमा देता है कि सम्पूर्ण व्यवसाय उसी के चारों ओर चक्कर काटता है वही तो उसकी धुरी है। परिणामस्वरूप यह अभिप्रेरणा उसको अपने हित संरक्षण के लिए आवश्यकतानुसार सहकारी इकाई की ओर अग्रसर कर देती है। जहां आकर उपभोक्ता को शक्ति का आभास होता है क्योंकि सहकारी संस्था उपभोक्ताओं की उपभोक्ताओं के लिए उपभोक्ताओं द्वारा संचालित संस्था है।

साधन और प्रसार के उपाय

सहकारी शिक्षा का विकास सहकारिता का एक सिद्धान्त है। इसी आशय से इसको सहकारी आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बनाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, प्रान्त व जिला स्तर के सहकारी संघ 80 से अधिक सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों, 500 से अधिक सहकारी शिक्षकों तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अन्य स्कूल, कालेजों के माध्यम से सहकारी शिक्षा का प्रचार-प्रसार करते हैं। समय-समय पर शिक्षा शिविरों का विभिन्न स्तरों पर आयोजन किया जाता है। जिनमें अलग-अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करके सदस्यों, अधिकारियों, तथा कर्मचारियों को शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। गोष्ठियों का आयोजन भी शिक्षा की दृष्टि से ही किया जाता है। सहकारी क्षेत्र से प्रकाशित की जाने वाली पत्र पत्रिकाओं व अन्य सामग्री भी सहकारी शिक्षा का अच्छा माध्यम बनती है। फिर भी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आन्दोलन के विकास को देखते हुए सहकारी शिक्षा बिल्कुल अपर्याप्त है।

आज भी भारत में 71 प्रतिशत जनसंख्या पर अशिक्षा का राज्य है। ऐसी दशा में सहकारी शिक्षा की और भी अधिक आवश्यकता है। सहकारी संगठन ऐच्छिक, प्रजातांत्रिक और पारस्परिक सहयोग के आधार पर बनाया हुआ संगठन होता है। इसके मूल में 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' के आधार पर सबके कल्याण की भावना छिपी होती है। दूसरे के हित से अपना हित पूरा होता है सहकारी शिक्षा से ही यह भाव विकसित होता है।

सहकारिता के सिद्धान्तों, उद्देश्यों, नियमों, उप-नियमों की जानकारी के साथ-साथ सहकारी संगठन के स्वरूप व सहकारी क्षेत्र के क्रिया-कलापों का ज्ञान सभी स्तरों पर लगे व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अतः सहकारी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के निम्नलिखित उपायों को तेजी से क्रियान्वित किया जाए तो निश्चय ही सहकारी आन्दोलन आर्थिक विकास की दृष्टि से फलदायी बनेगा।

- सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण केन्द्रों के विस्तार से सहकारी संस्थाओं में कार्यरत व्यक्तियों विकास के अधिक अवसर सुलभ होंगे।
- कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में सहकारी संस्था को सब प्रकार का सहयोग देना चाहिए। प्रशिक्षित कर्मचारी अधिक कार्यक्षम होता है। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के लाभ में से शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान करना चाहिए। इस प्रकार एक बार का विनियोग सदा के लिए लाभदायी होता है।
- समय-समय पर कार्य को गति देने की दृष्टि से पुराने शिक्षित कर्मचारियों को नवीन पाठ्यक्रम (Refresher Course) के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए।
- सहकारिता को जन-जन का आन्दोलन बनाने के लिए आवश्यक है कि

सहकारी शिक्षा को जन-सामान्य में प्रसारित करने पर बल दिया जाए। इस के लिए शीर्ष सहकारी संस्थाएं विभिन्न स्तरों पर सहकारी शिक्षकों व अन्य व्यक्तियों के सहयोग से व्यापक कार्य कर सकती है।

- भ्रमणशील सहकारी शिक्षक व केन्द्रों के कार्यों का विस्तार किया जाए जिससे अधिक स्थानों पर अधिक व्यक्तियों को कम लागत पर शिक्षा व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। इन साधनों द्वारा कार्य पर प्रशिक्षण सुविधापूर्वक दिया जा सकता है।
- पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से भी सहकारी क्षेत्र से सम्बद्ध व्यक्तियों को उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित योजना की आवश्यकता है। इससे व्यक्ति घर बैठे सहकारी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
- सहकारी संस्था का निर्माण शिक्षा पर आधारित होना चाहिए। साक्षरता सदस्यता की शर्त हो या सदस्यों को साक्षर बनाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे वे सिद्धान्तों, आदर्शों व उद्देश्यों को समझ कर पूर्ण सहकारी भाव से योग दे सकें।
- स्कूल-कालिज की शिक्षा में सहकारिता को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जिससे सहकारिता को समाज व्यवस्था का आवश्यक अंग बनाया जा सके।
- प्रौढ़ शिक्षा की भांति सहकारी शिक्षा के लिए व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता है। निरक्षर व्यक्तियों के बीच रोचक कार्यक्रमों के माध्यम से सहकारी शिक्षा को पहुंचाया जा सकता है। रेडियो, से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में सहकारिता को प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मेले, प्रदर्शनी, चलचित्र आकर्षण के केन्द्र होते हैं। सामान्य जनता को श्रव्य दृष्टि माध्यमों से सहकारिता से परिचित कराया जा सकता है। इस दृष्टि से अपेक्षित प्रयत्नों का अभाव रहा है।
- जन सामान्य को समय-समय पर सहकारी नीतियों, कार्यक्रमों व सूचनाओं से अवगत कराने के लिए प्रकाशित पत्रक निशुल्क वितरित करने चाहिए। रोचक सामग्री का प्रकाशन उपयोगी सिद्ध होगा। इच्छुक व्यक्तियों को सस्ता सहकारी साहित्य उपलब्ध कराना चाहिए।
- सहकारी क्षेत्र के द्वारा अधिक संख्या में पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित करनी चाहिए। जिला स्तर के सहकारी संघों को इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता है।
- अच्छी सहकारी समितियों को आदर्श मान कर उनके कार्यों से सदस्यों व अन्य कर्मचारियों को अवगत कराना चाहिए। दोषों को दूर करने के लिए संभावित अनियमितताओं का ज्ञान सदस्यों के लिए कराना चाहिए जिससे आवश्यक अंकुश लगाया जा सके।
- सहकारी क्षेत्र में वाचनालयों व पुस्तकालयों की सुविधा का विकास करना चाहिए। पुस्तकालय स्वयं शिक्षा प्राप्त करने के उत्तम साधन होते है। जहां डिग्री के स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये पुस्तकालय राष्ट्रीय, प्रान्तीय और जिला स्तर से लेकर समिति स्तर पर भी स्थापित किए जाने चाहिए। सामान्य ग्रामीण व्यक्ति भी पढ़ने की रुचि को विकसित कर सके और सहकारी शिक्षा का स्वतः प्रसार हो।
- रात्रि में गांवों में चौपालों पर होने वाला एकत्रीकरण सहकारी शिक्षा के प्रसार का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है। जो चौपालें गांव की दशा सुधारने उसके संरक्षण व आपसी सहयोग पर विचार करती थी, वर्तमान में झगड़े और विवादों में फंसी रहती हैं। उनको सहकारी शिक्षा का माध्य बना कर पुनः ग्रामीण समाज के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है।

सहकारिता आन्दोलन विकासशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और बिना सहकारी शिक्षा के सहकारिता के उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त करना कठिन है। □

अनुकरणीय आदर्श

दहेज का दानव हमारे समाज पर बुरी तरह से छाया हुआ है। आए आए दिन समाचार पत्रों में नव-विवाहितों के आत्मदाह और आत्महत्याओं के समाचार पढ़ते हैं। परन्तु इस गए गुजरे और आर्थिक दौड़ के जमाने में भी आपको ऐसे विवाहों के उदाहरण भी मिल सकते हैं जिनमें एक-एक रुपये की रस्म से सभी वैवाहिक रस्में सम्पन्न हुई।

अभी हाल में गत 14 जून, 1981 को केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के महामंत्री एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में उप-निदेशक श्री जगन्नाथ के सुपुत्र चि० सुभाष चन्द्र (जो आस्ट्रेलिया में कम्प्यूटर इंजीनियर हैं) का शुभ विवाह भारत सरकार के भूतपूर्व वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार डा० परमेश्वरी दयाल की सुपुत्री सौ० डा० मालती, एम०बी०, बी०एस० के साथ सम्पन्न हुआ। इस विवाह की विशेषता यह थी कि सगाई की रस्म में वर पक्ष की ओर से केवल एक रुपया लिया गया और बारात में केवल ग्यारह व्यक्ति गए। किसी प्रकार के दहेज का लेन-देन नहीं हुआ। भागड़ा आदि भद्दे प्रदर्शन नहीं हुए। विवाह बहुत सादगी के साथ रविवार को दिन में हुआ।

वर पक्ष की ओर से जो निमंत्रण पत्र भेजे गए थे उनमें आशीर्वाद भेजने के लिए निवेदन किया गया था और उसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि बारात में केवल ग्यारह सज्जन होंगे। हिन्दीतर भाषी सज्जनों को भी निमंत्रण पत्र केवल हिन्दी में भेजे गए थे।

इस प्रकार श्री जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत आदर्श अन्य सज्जनों के लिए भी अनुकरणीय है। कोई भी समाज सुधारक श्री जगन्नाथ के इस कार्य की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। दहेज के दानव से मुक्ति पाने के लिए जरूरी है कि हमारे समाज के लोग श्री जगन्नाथ जी का अनुकरण करें और अपने लड़के-लड़कियों के विवाहों की रस्मों को सादगी से मनाएं। □

गांवों में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं

पहला सुख निरोगी काया सदियों से चली आ रही यह कहावत इस तथ्य को उजागर करती है कि हम मानव की मूल आवश्यकता स्वास्थ्य के प्रति सजग रहे हैं। हमारे बड़े-बूढ़े भी आशीर्वाद देते समय सदा लम्बी आयु और निरोग जीवन की कामना करते हैं। पर स्वतंत्रता प्राप्ति के समय तक हमारे देश में और खासकर गांवों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं अपर्याप्त थीं। सभी सरकारी और स्थानीय संस्थाओं के अस्पताल मुख्य शहरों में थे। गांवों की अधिकांश आबादी अपने इलाज के लिए नीम हकीमों पर निर्भर थी। उस समय भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 3825 डिसपेंसरियां थीं जिनमें सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख रोगियों का इलाज किया जा सकता था। कुल डाक्टरों की संख्या में 75 प्रतिशत डाक्टर शहरों में बसे हुए थे। मृत्यु-दर प्रति हजार जनसंख्या पर 27.4 थी। पुरुषों की औसत आयु 32.4 वर्ष तथा महिलाओं की 31.7 वर्ष थी। भयंकर महामारियों जैसे मलेरिया, क्षयरोग, हैजा, चेचक, प्लेग आदि के कारण बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु होती थी। केवल मलेरिया से प्रति वर्ष 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी क्योंकि गांवों में इलाज की पर्याप्त सुविधाएं नहीं थीं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए जोरदार कार्रवाई शुरू की। नतीजा यह है कि पिछले 33 वर्षों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। जहां स्वतंत्रता के समय हमारी औसत आयु 31 वर्ष थी वहां आज बढ़कर औसत आयु 52 वर्ष हो गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों के के माध्यम से दी जा रही है। ये केन्द्र अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों को इलाज और स्वास्थ्य की न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के एक अभिन्न अंग के रूप में 60 हजार से 80 हजार की आबादी वाले प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में तीन-तीन उप-केन्द्रों सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की व्यवस्था करने का कार्यक्रम चलाया गया है। 1951 से पूर्व ऐसा कोई केन्द्र नहीं खोला गया था। सरकार द्वारा 30 वर्षों के योजनाबद्ध कार्यक्रमों से 31 मार्च, 1980 तक 5274 प्रखडों में 6499 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 49,323 उप-केन्द्र खोले जा चुके हैं।

1973 में करतार सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया कि विभिन्न कार्यकर्ताओं के कामों को मिलाकर बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता तैयार किए जाएं जो सभी प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं लोगों तक पहुंचा सके। देश के गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के विस्तृत कार्यक्रम को हाथ में लिया गया था। बहुउद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना के अन्तर्गत 28,760 कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस योजना का उद्देश्य बहूद्देश्यीय कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से गांवों में एक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति की स्थापना है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक 5000 जनसंख्या के लिए एक पुरुष और एक महिला कार्यकर्त्ता को लगाया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले चरण में 70 चुने हुए जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। 1976-77 में 28 जिलों में कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का कार्य पूरा हो गया था। 1977-78 में 60 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया और बहूद्देश्यीय सेवाएं 88 जिलों को दी जा रही हैं। इस समय 123 जिलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इसके सितम्बर, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा थी।

भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में और अधिक विस्तार करने तथा वर्तमान सेवाओं में सुधार लाने के लिए कटिबद्ध थी। सरकार द्वारा श्रीवास्तव समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1975 में बहूद्देश्यीय कार्यकर्त्ता योजना को यथाशीघ्र लागू करने के साथ-साथ यह भी सिफारिश की कि समाज द्वारा चुने हुए ऐसे कार्यकर्त्ताओं को चुनकर प्रशिक्षण दिया जाए जो प्रशिक्षण के बाद फिर से उसी समाज में जाकर स्वास्थ्य कार्य करें।

हर गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता

इन रिपोर्टों के आधार पर भारत सरकार ने "जन-स्वास्थ्य रक्षक" योजना चालू की। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव से एक कार्यकर्त्ता रखा जाना था। जन-स्वास्थ्य रक्षक वर्ष 1982-83 तक देश के प्रत्येक गांव में अपना एक जन-स्वास्थ्य रक्षक होगा। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गांव के लिए प्रति एक हजार जनसंख्या पर एक कार्यकर्त्ता चुना जाना था। अनुमान है कि इस प्रकार देश के लिए लगभग 58 लाख कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता होगी।

2 अक्तूबर, 1977 को प्रारम्भ होने वाले इसके प्रथम चरण में योजना को 734 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शुरू किया गया। 30 सितम्बर, 1978 तक 54,000 जन-स्वास्थ्य रक्षकों को प्रशिक्षत किया गया।

योजना के दूसरे चरण में इसका विस्तार 964 अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में किया गया। इसका तीसरा चरण 2 अक्तूबर, 1979 से शुरू किया गया जबकि 700 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इसका विस्तार किया गया। जबकि योजना के तीन चरणों में 30 नवम्बर, 1980 तक 155,526 जन-स्वास्थ्य रक्षक प्रशिक्षित किए गए हैं।

वर्ष 1977-78, 1978-79 के दौरान जन-स्वास्थ्य रक्षक योजना शत-प्रतिशत केन्द्रीय आयोजित योजना के रूप में चलाई गई तथापि 1979-80 से इस योजना को केन्द्र सहायता प्राप्त योजना बना

दिया गया और इसका खर्च केन्द्र सरकार तथा राज्य/संघशासित क्षेत्र 50-50 के आधार पर वहन करते हैं।

इस योजना के अलावा प्रत्येक गांव से एक दाई को भी प्रशिक्षित करने की योजना है। इस प्रकार देश भर में करीब 5.8 लाख दाइयां भी प्रशिक्षित की जाएंगी। इनका चुनाव भी उन्हीं गांवों से जन-स्वास्थ्य रक्षकों की भांति किया जाता है तथा इन्हें प्रशिक्षण के बाद प्रसव किट प्रदान किए जाते हैं। जनवरी, 1980 से दिसम्बर, 1980 के बीच परम्परागत दाइयों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के अधीन 63,551 दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया जबकि पिछले वर्ष इनकी संख्या 51,132 थी।

परिवार कल्याण सेवाएं

स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ परिवार कल्याण सेवाओं को भी प्रमुखता दी गई है। जब तक हमारे समाज के सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्ग महिलाओं और बच्चों में स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी देखभाल के बारे में पर्याप्त चेतना उत्पन्न नहीं की जाती उस समय तक सभी के लिए स्वास्थ्य का विचार ही अर्थहीन होगा। हमारे देश में जनसंख्या में वृद्धि जिस प्रकार हो रही है उसे देखते हुए हमारे देश में छोटे परिवार के आदर्श को स्वेच्छा से स्वीकार करना और इसे अपनाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। गांव के लोगों को परिवार कल्याण सेवाओं को सुलभ कराने हेतु उपकेन्द्रों की लगभग 50 हजार सहायक नर्स धात्रियों, 1.50 लाख से भी अधिक गांवों में काम कर रहे इतने ही जन-स्वास्थ्य रक्षकों तथा 5499 प्राथमिक स्वास्थ्य के जरिए यह कार्य करवाया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और चिकित्सालयों के द्वारा उपलब्ध करायी जा रही हैं। ये केन्द्र चिकित्सा संबंधी देशी और आधुनिक दोनों प्रणालियों की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जनसंख्या 3 करोड़ 80 लाख थी। जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों के अन्तर्गत 75 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ मिल रहा है। जहां कि जनजातियों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं के पूरा करने के लिए 382 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 600 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान है। इनमें से 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जनजातीय क्षेत्रों में खोले जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह से जनजातीय क्षेत्रों के लिए आवश्यक उपकेन्द्रों के खोलने की आवश्यकता को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शत-प्रतिशत पूरा कर लिया जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य कार्यक्रमों को उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विस्तार करने का विचार है ताकि हर 50,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र का मानक प्राप्त किया जा सके। योजना अवधि के दौरान 400 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 40,000 नए उपकेन्द्र खोलने का विचार है। पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में क्रमशः 20,000 और 3,000 की जनसंख्या के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उपकेन्द्र खोलने का संशोधित मानक निर्धारित किया गया है। इस कार्यक्रम में योजना अवधि के दौरान 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें 30 पलंगों वाला ग्रामीण अस्पताल बनाने की भी बात निहित है। आगे इस अवधि के दौरान 2,000 ग्रामीण औषधालयों का दर्जा बढ़ाकर पूरक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की योजना है।

इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 7 अप्रैल, 1981 के मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस के लिए सन् 2000 ई० तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सभी को सुलभ होने चाहिए और ये सेवाएं पास में हों तथा निःशुल्क मिलनी चाहिए। हम इसी लक्ष्य की ओर सतत प्रयत्नशील हैं। □

पन्द्रह अगस्त अमर है

पन्द्रह अगस्त अमर है
जब तक धरा, गगन,
आज शहीदों को मेरा
है कोटि-कोटि नमन।

है कोटि-कोटि नमन,
अगस्त है अमर कहानी,
इस दिन आखिर हार,
फिरंगी दिल से मानी।

कहत 'बरैया' चकित
हो गई मानव जाति समस्त,
सत्य, अहिंसा, आदर्शों का
है यह पन्द्रह अगस्त।

—राम सहाय बरैया

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के काम-काज में

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा

विजय कुमार कोहली

ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के श्री इन्दर राज बाहरी को हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन की नकद पुरस्कार योजना की प्रथम प्रतियोगिता में 250 रुपये का प्रथम पुरस्कार मंत्रालय की ओर से दिया गया है। यह उल्लेखनीय है कि श्री बाहरी हिन्दी भाषी न होते हुए भी उन्होंने मंत्रालय में सबसे ज्यादा मात्रा में हिन्दी में काम कर मंत्रालय में पहली बार यह पुरस्कार प्राप्त किया है। इसी प्रतियोगिता में श्री एस० एस० परिहार को 150 रुपये का द्वितीय पुरस्कार तथा श्री शिरोमणि सिंह कुशवाहा को 75 रुपये का तृतीय पुरस्कार मिला है। इनमें से प्रत्येक द्वारा हिन्दी में किए गए काम की मात्रा कुल मिलाकर इतनी अधिक है कि उसका व्यापक प्रभाव मंत्रालय में दिखाई पड़ता है।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अपना सरकारी कामकाज हिन्दी या अंग्रेजी में करने के लिए स्वतन्त्र हैं, तथापि, हिन्दी संघ की राजभाषा होने के कारण इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का महत्व बढ़ जाता है। स्वेच्छा से हिन्दी में काम करने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई है।

इस योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण का प्रभावी उपयोग करना और जो कर्मचारी हिन्दी जानते हैं उन्हें हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन करने के लिए प्रोत्साहन देना है। पहले यह देखने में आया था कि कर्मचारी हिन्दी परीक्षाएं तो उत्तीर्ण कर लेते थे, किन्तु वे सरकारी काम हिन्दी में नहीं करते थे। इस प्रकार उन पर किया गया व्यय व उनकी योग्यता का समुचित रूप में उपयोग नहीं हो पाता था।

इस मंत्रालय में 1 फरवरी, 1980 से हिन्दी में टिप्पण तथा आलेखन प्रतियोगिता की शुरुआत मंत्रालय के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना है, इसका कार्यान्वयन इसकी अभूतपूर्व सफलता का परिचायक है। इससे हिन्दी की भावी प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। आज मंत्रालय के कर्मचारियों में स्वेच्छा से हिन्दी में काम करने की होड़ सी लगी हुई है, ऐसा पहले कभी देखने में नहीं आया है। मंत्रालय में हिन्दी के काम में जुटे कर्मचारी हिन्दी के विकास की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं, जो निस्सन्देह श्लाघनीय है।

वस्तुतः मंत्रालय में हिन्दी की श्री-वृद्धि का श्रेय यहां के सचिव श्री सुशील चन्द्र वर्मा के हिन्दी के प्रति सहज लगाव को है। उप सचिव (हिन्दी) के रूप में श्री अतुल सिन्हा ने प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क कर जिस प्रभावोत्पादक ढंग से उन्हें हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित किया है, उसका उदाहरण सम्भवतः किसी अन्य मंत्रालय में प्राप्त न हो।

आज मंत्रालय में वेतन बिल तथा यात्रा भत्ते के बिल हिन्दी में तैयार किए जाते हैं। चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं में सभी प्रविष्टियां भी हिन्दी में की जाती हैं। मंत्रालय की योजनाओं के हिन्दी अनुवाद तैयार किए जाते हैं तथा इन्हें खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाता है। प्रचार सामग्री को मौलिक रूप से सरल हिन्दी में लिखने की शुरुआत भी मंत्रालय में की गई है। अनुभागों के आन्तरिक प्रयोग के लिए 30 मानक मसौदों तथा फार्मों का अनुवाद भी किया गया है, जिन्हें सभी अनुभागों ने उपयोगी पाया है। इसके अलावा, एक विभागीय अंग्रेजी-हिन्दी शब्दावलि भी तैयार की गई है जिसे सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोग के लिए वितरित कर दी गई है।

मंत्रालय के अथक प्रयास के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्थान, हैदराबाद, विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों की नियुक्तियां भी कर दी गई हैं। मंत्रालय के हिन्दी अधिकारी अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी की प्रगति के मार्गदर्शन हेतु समय-समय पर इन कार्यालयों में हिन्दी का निरीक्षण करते रहते हैं।

मंत्रालय में हाल ही में हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। कुरुक्षेत्र (हिन्दी) मासिक पत्रिका को पाक्षिक बनाने का निर्णय लिया गया है। पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकों की खरीद की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। संसदीय राजभाषासमिति ने मंत्रालय के निरीक्षण के दौरान हिन्दी की प्रगति के बारे में किए जा रहे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से सन्तोष व्यक्त किया है। वस्तुतः इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में काम काज की दृष्टि से यह आदर्श मंत्रालय बन गया है।□

ग्रामीण नेताओं के आचरणात्मक आयाम

✱ वी० विजय लक्ष्मी

ग्राम विकास नीति के अनुसार विकास प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है। विभिन्न लोगों में मानसिक धरातल पर एकता लाने तथा प्रमुख परिस्थिति की आवश्यकताओं के अनुसार जनहित में निर्णय लेने के लिए अग्रणी के रूप में कुछ लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो समाज में नेता के नाम से जाने जाते हैं। विशेष रूप से समाज में नेताओं का अपना विशिष्ट स्थान है। पंचायतीराज व्यवस्था के अमल में आते ही ग्रामीण नेताओं की गतिविधियां बढ़ी हैं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम आदि के जरिए लोगों की कई आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। विभिन्न राज्यों के पंचायतीराज के निर्वाचित नेताओं की वैयक्तिक सामाजिक पृष्ठभूमि और उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को जानने के लिए विविध अनुसंधान अध्ययन आयोजित किए गए। कुछ अध्ययन नेताओं के आचरण और उनके नेतृत्व की विधियों को जानने के उद्देश्य से भी किए गए। वैसा ही एक अध्ययन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा तमिलनाडु के दो जिलों में पंचायतों के चुने हुए नेताओं की मनोवैज्ञानिक सामाजिक विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए आयोजित किया गया ताकि ग्रामीण नेतृत्व की शैली व प्रकृति को समझा जा सके तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनके आचरण संबंधी जानकारी मिल सके।

अध्ययन के अन्तर्गत आठ गांवों और दो नगर पंचायतों के 275 प्रतिवादी लिए गए जिनमें 112 निर्वाचित नेता, 81 अनौपचारिक नेता, और 82 गैर नेता थे। एक निश्चित प्रश्नावलि के सहारे उनकी वैयक्तिक सामाजिक पृष्ठभूमि और अन्य मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के विवरणों को संगृहीत किया गया।

नेताओं का आर्थिक और राजनीतिक शक्तिशाली होना जरूरी है क्योंकि इसके बिना उनका नेतृत्व आर्थिक विकास के लिए सहयोगी नहीं हो सकता। चूंकि आर्थिक नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन राजनीतिक सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है अतः समाज में नेताओं की नीति-निर्माताओं के रूप में आवश्यकता है। निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य को सही ढंग से करवाने की जिम्मेदारी भी नेताओं की होती है। उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग किस प्रकार किया जाए—इसके लिए साधारणतः कोई नेता अपने अनुयायियों के साथ मिलकर जिस प्रकार का कार्य करता है, वह इस प्रकार है:

(1) योजना बनाना, प्रस्तुत करना और उसे कार्यान्वित करने के लिए जो कार्यवाही करनी है उसका उल्लेख करना।

(2) स्वयं में और वर्ग के सदस्य में आपसी निष्ठा और आन्तरिक संबंध बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना।

(3) उत्पादन पर जोर देना।

(4) सामाजिक चेतना को जागृत करना।

वरनाबस, नारंग, थोरट, राहुदकर और सिंह द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि गैर नेताओं की तुलना में नेताओं का स्तर समाज में ऊंचा रहता है तथा वे अधिक शिक्षित और अधिक भूमि के मालिक होते हैं। 1967 में किए गए राष्ट्र व्यापी सर्वेक्षण में सेन और राय ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि नेता अधिक नवीनता प्रेमी, प्रचार माध्यमों का अधिक उपयोग करने वाले विश्व के राजनीतिज्ञों व विस्तार ऐजेन्टों से सम्पर्क रखने वाले तथा धर्मनिरपेक्षी होते हैं।

विभिन्न नेतृत्व शैलियों के अध्ययन के अन्तर्गत अधिकारवादी नेतृत्व और लोकतंत्रवादी नेतृत्व पर अधिक ध्यान दिया गया। कुछ अध्ययनों के अनुसार सामाजिक कुरीतियों व आर्थिक दुर्दशा को दूर करने का भारत के पास जो एक रास्ता है—वह है अधिकारवाद। पंचायतीराज भी सर्वसम्मत रूप से नेताओं को चुनने पर जोर देता है। फलस्वरूप जिस व्यक्ति के पास अधिक संसाधन होते हैं और जो सामाजिक रूप से अगुआ होता है वही फायदेमन्द होता है। इस प्रकार ग्रामीण नेतागीरी केवल ग्रामों के उन समुदायों की मुट्ठी में ही बन्द रह जाती है जो उच्च वर्ग के हों, जिनके पास अधिक भूमि हो या जो अधिक धनी हों। पंजाब के गांवों में किए गए एक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि प्रायः ग्रामीण नेता अधिक उम्र वाले (40 साल या उससे अधिक) और ऊंची जाति के होते हैं। उनकी अच्छी आमदनी होती है, उनके पास भूमि भी अधिक है। उनकी अच्छी शैक्षणिक योग्यताएं हैं और पशु धन भी उनके पास अधिक होता है। हैदराबाद जिले के एक खण्ड के अध्ययन से पता चला कि ग्रामों के निर्वाचित नेता अपेक्षाकृत कम उम्र के होते हैं (31 से 40 वर्ष) जिनके पास भूमि भी होती है, आमदनी भी तथा वे शिक्षित भी होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से जो चुने गए हैं उन्हें छोड़ कर प्रायः पंचायत नेतृत्व ग्राम समुदाय के उच्च वर्ग तथा ऊंचे पदों पर आसी व्यक्तियों को ही मिला है।

"अभिमत नेतृत्व" संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि नेतृत्व के दो स्तर होते हैं जिन्हें "एक रूपी" और "बहुरूपी" कहते हैं। "एक रूपी" नेता किसी एक अमुक क्षेत्र के लिए सूचना और सलाह देने के माध्यम होते हैं। और "बहुरूपी' नेता कई विषयों पर सलाह देने के काबिल होते हैं। अर्थात अभिमत नेतृत्व में लोग विभिन्न विषयों से संबंधित सूचना व सलाह के लिए विभिन्न नेताओं से विचार विमर्श करते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर राय का कहना है कि अधिक आमदनी, अधिक शिक्षा, विस्तार एजन्सियों के साथ उच्च स्तरीय सम्पर्क, धर्मनिरपेक्षता जैसी सामाजिक आर्थिक विशेषताएं ग्रामीण नेतृत्व के ढांचे में जाति से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जबकि पारम्परिक संप्रदाय वाले ग्रामीण समाजों में 'जाति' का अब भी बोलबाला है।

ग्रामीण नेताओं के व्यक्तित्व और आचरण पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। समस्या यह है कि क्या सिर्फ अमुक व्यक्तित्व, विशेषताओं व आचरण रखने वाले लोग ही नेता बन सकते हैं? और बाकी लोग नहीं? तमिलनाडु और कर्नाटक में किए गए एक अध्ययन की उपलब्धियों के अनुसार प्रतिवादी उन लक्ष्यों को अपनाने वाले नेताओं को ही पसन्द करते हैं जो दूसरों की समस्याओं में रुचि दिखाएं, उनकी सहायता करने के लिए तत्पर हों। स्पष्ट है कि ग्रामीण वैयक्तिक साधन व राजनीतिक सत्ता रखने वालों की अपेक्षा उन्हीं लोगों को अधिक पसन्द करते हैं जो आर्थिक रूप से उनकी सहायता करें। 'शरण' के अनुसार प्रतिवादी उन्हीं नेताओं को प्राथमिकता देते हैं जो शिक्षित, ईमानदार और लोगों से सम्पर्क बनाए रखने वाले हों।

नेतृत्व सम्बन्धी अध्ययनों का उद्देश्य नेतृत्व की शैलियों का पता लगाना है। अध्ययन में जिसमें कि भारतीय संघ के 16 राज्यों के 353 निर्वाचित ग्राम नेता शामिल हैं यह बात मालूम हुई कि 51.5 प्रतिशत ग्राम नेता निरंकुश होते हैं तथा 43.3 प्रतिशत लोकतंत्री स्वभाव के होते हैं। निर्वाचित नेताओं में ज्यादातर अर्थात् लगभग 54.6 प्रतिशत जनता में विश्वास रखते हैं और 42.2 प्रतिशत जनता में विश्वास नहीं रखते। इन उपलब्धियों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि यद्यपि नेता जनता में विश्वास रखते हैं तथापि वे निरंकुश स्वभाव के होते हैं अत: उन्हें परोपकारी निरंकुश नेता कहा जा सकता है।

आने वाले जमाने में आर्थिक विकास व वृद्धि के लिए एक ही प्रकार के नेतृत्व से काम नहीं चल सकता। परिवर्तन आवश्यक है। अत: नेतृत्व एक ऐसी शाश्वत प्रक्रिया है जिसमें प्रगति के उपयुक्त परिवर्तन हमेशा होता रहे। □

वी० विजयलक्ष्मी,
हिन्दी अधिकारी,
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान,
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद-500030

छिंदवाड़ा में दलितों का उत्थान

छिंदवाड़ा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण विगत वर्षों से जिले के दलितों के उत्थान हेतु प्रयासरत है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत शासन से उपलब्ध 85 लाख रुपये के अनुदान का उपयोग किया गया और 12 हजार निर्धनों को लाभान्वित किया गया।

लघु सिंचाई के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत वर्ष कुल 830 नए कुओं का निर्माण किया गया तथा 1670 कुओं की मरम्मत की गई। इसके अतिरिक्त लघु सीमान्त कृषकों के 1670 कुओं में विद्युत पम्प स्थापित किए गए। इस प्रकार सिंचाई रकबे में वृद्धि की गई। अभिकरण द्वारा बैंकों से शीघ्र कर्ज निर्धनों को प्रदाय करने हेतु अभियान पद्धति से कार्य किया गया। पांढुरना विकास खण्ड के दुर्गम आदिवासी क्षेत्रों, जिनमें चिमनखापा, काराघाट, सोनपठार, कामठी, दिगोरी, घनौरा, उत्तमडेरा, मिमखेड़ी आदि ग्राम आते हैं, में एक साथ 50 विद्युत पम्प स्वीकृत कराए गए। विभिन्न योजनाओं में बैलगाड़ी योजना वनों में रहने वाले दलित आदिवासी मजदूरों, जो कि गरीबी की रेखा के काफी नीचे रह कर वन विभाग में लकड़ी की कटाई का कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं, के आर्थिक उत्थान हेतु चलाई गई। गत वर्ष 805 आदिवासी मजदूरों को बैलगाड़ी एवं बैलजोड़ी वितरित की गई। विगत वर्ष 1765 ग्रामीण शिल्पियों को लाभान्वित किया गया। ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत 130 ग्रामीण युवक युवतियों को स्वयं के रोजगार स्थापित करने हेतु विभिन्न सहयोगी संस्थाओं द्वारा विगत वर्ष प्रशिक्षण दिया गया।

अभिकरण ने पशुपालन योजना में भी सफलता प्राप्त की है। डेयरी विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत मुर्रा नस्ल की भैंसें एवं कास नस्ल की गायें, जो कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई, 92 लघु सीमान्त कृषकों एवं भूमिहीन मजदूरों को प्रदान की गई। इसके अलावा अन्य नए कार्यक्रम अपनाए गए। तदनुसार तामिया विकास खंड के आदिवासी क्षेत्र रैनीखेड़ा ग्राम में वन विभाग की जमीन में उगे साल के पौधे पर रेशम कीट पालन का कार्य भी किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से 25 आदिवासी मजदूरों को शिक्षण दिया गया। सिल्क उद्योग के अन्तर्गत 28 नवयुवकों को लाभान्वित किया गया।

समाचार पत्र
नवभारत नागपुर से साभार

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम :

ग्रामीण जनशक्ति की सक्रियता का द्योतक

तमिलनाडु में इरोड से 35 किलोमीटर दूर नाथांदियूर एक छोटा सा गांव है। कई वर्षों से गांव के हरिजन खेतिहर मजदूर परिवार टूटी-फूटी झोंपड़ियों में रह रहे थे। पिछले एक वर्ष में इन झोपड़ियों के स्थान पर खपरेलों की छत वाले आधुनिक मकान बनाए गए जिनमें रसोईघर और स्नानागार भी हैं। इसके परिवर्तन का श्रेय स्वयं मजदूरों और पंचायत संघ के प्रयासों को जाता है। राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम से इन मकानों को बनाने के लिए मजदूरों को प्रोत्साहन मिला।

थिगुलर और अन्य 15 गांवों की अपनी समस्याएं हैं। परस्पर समीप होते हुए भी 60 मीटर गहरी लम्बी घाटी की वजह से इनके बीच संचार और व्यापार कार्य में कठिनाई होती थी। एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए लोगों को लम्बा गोल चक्कर काटना पड़ता था। पंचायत संघ ने इस घाटी पर पुल बनाने की योजना बनाई लेकिन आवश्यक साज-सामान खरीदने और मजदूरी आदि का भुगतान करने के लिए उसके पास यथेष्ट धन का अभाव था। इस वित्तीय समस्या का सुलझाने में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम एक बार फिर काम आया। इस कार्यक्रम के जरिये मजदूरी की अदायगी की गई। पंचायत संघ ने विभिन्न साधनों से 2700 रुपये का बंदोबस्त किया। 3000 मानव दिवसों में मोटर गाड़ी के आने-जाने योग्य सड़क का निर्माण करके इन गांवों को एक दूसरे से जोड़ा गया।

राजस्थान में एक गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से बर्बाद हो जाता था। बाढ़ से फसलों को बचाने के लिए एक साधारण बांध ही काफी था लेकिन इसके निर्माण के लिए गांव वालों को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के वहां शुरु होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस कार्यक्रम के आरंभ होने के एक वर्ष में ही 5,000 रुपये की छोटी सी लागत से यह बांध बनाया गया। गांव वालों का कहना है कि वे अब बांध की कुल लागत से कई गुना अधिक की फसलें उगा लेते हैं।

ऐसे कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस कार्यक्रम की चार वर्ष की अवधि में ग्रामीण मजदूरों को आंशिक मजदूरी अनाज के रूप में देने की योजना से कई सौ करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का निर्माण किया गया। इस कार्यक्रम की महत्ता इस बात से सिद्ध हो जाती है कि छठी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब यह कार्यक्रम सिर्फ काम के बदले अनाज कार्यक्रम नहीं रह गया है वरन् अब इसने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का रूप ले लिया है।

निर्धनता पर सीधा प्रहार

अत्यधिक निर्धनता और आय में असमानता कम करने का एकमात्र कारगर उपाय रोजगार है। भारत के गांवों में जिन्हें रोजगार मिलता है वह केवल कुछ महीनों के लिए ही होता है। देश में 70 प्रतिशत खेती योग्य भूमि ऐसी है जो गैर-सिंचित क्षेत्रों में है और वहां रोजगार की अवधि और कम है। एक अनुमान के अनुसार वहां पर लोगों को वर्ष में लगभग 100 दिन ही काम मिल पाता है। भूमिहीनों के अतिरिक्त छोटे और सीमान्त किसान भी दुर्दिन में रोजगार ढूंढने को बाध्य हो जाते हैं। इस से कामगारों की संख्या बढ़ जाती है और मजदूरी में कमी आ जाती है। हजारों ग्रामीण रोजगार की तलाश में कस्बों और शहरों में आ जाते हैं। अब कभी अनाज अधिक पैदा होता तब भी अनाज खरीदने के लिए बहुत से ग्रामीणों के पास पैसे नहीं होते। समृद्ध क्षेत्रों और धनी वर्गों के लोगों को विकास के लाभों का मिलना भी गरीबी का एक कारण है। इस प्रकार पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लोगों की हालत वैसी ही बनी रहती है।

आठवें दशक के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान आर्थिक विकास कार्य-नीति में गरीबी पर सीधा प्रहार करने के उद्देश्य से कुछ सुधार लाए गए। लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमान्त कृषक एजेंसी, सूखा-बहुल क्षेत्र कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम विशेष लक्ष्यों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए। अनाज उत्पादन में वृद्धि से गरीबों को रोजगार दिलाने, उनकी आमदनी बढ़ाने और उनमें पोषण के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नया कार्यक्रम शुरु करना संभव हुआ। काम के बदले अनाज नामक यह कार्यक्रम 1977 के मध्य से चालू किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी का एक बड़ा भाग उचित मूल्य पर अनाज के रूप में दिया जाता था। इस योजना का उद्देश्य न केवल रोजगार पैदा करना बल्कि सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना और देहाती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत बनाना था। चार वर्ष के कम समय के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया, 4.21 लाख हेक्टेयर भूमि को बाढ़ से बचाया गया और खेतों में नालियां बनाकर, जमीन को समतल करके और खेतों में अन्य विकास कार्यों के माध्यम से 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि को और अधिक खेती लायक बनाया गया। 6 लाख किलोमीटर से अधिक नई सड़कें बनाई गई या पुरानी सड़कों की मरम्मत की

गई। स्कूल भवन, पंचायत भवन तथा इसी प्रकार के 77 हजार भवन बनाए गए या पुराने भवनों की मरम्मत की गई। 1979-80 के दौरान पड़े सूखे के कारण लोगों की रोजगार, अनाज और धन संबंधी तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने में इस कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पूरे वर्ष के दौरान 5400 लाख जन दिवस के बराबर रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष के अन्तिम दो महीनों के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन लाख टन अनाज का वितरण किया गया। 1980-81 में जारी सूखे की स्थिति के दौरान भी इस कार्यक्रम की गति बनी रही और इस वर्ष इस पर 340 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इन चार वर्षों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 58 लाख टन अनाज दिया गया। वास्तव में भारत में 1950 में खाद्यान्न के वार्षिक उत्पादन स्तर के बराबर अनाज वितरित किया गया। अन्तर्राष्ट्रीय विकास की संयुक्त राज्य अमरीकी एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा चलाए जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रमों के लिए एक दर्जन या इससे अधिक देशों को 10 लाख टन अनाज वितरित किया गया।

मोटे तौर पर देखा जाए तो अब तक 900 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज बांटा जा चुका है। यदि राज्यों ने इस कार्यक्रम पर 50 प्रतिशत व्यय किया है तो इस योजना के अन्तर्गत इन चार वर्षों के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 1350 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

कार्यक्रम का प्रभाव

कार्यक्रम की एक सरकारी मूल्यांकन रिपोर्ट में कहा गया है कि गांवों को सड़कों से जोड़ने से कृषि उत्पादों के विपणन में सुधार हुआ है। इससे कुछ गांवों में बेहतर सफाई की व्यवस्था हो सकी है। बढ़ई और राजमिस्त्रियों की मांग बढ़ने के कारण कई अकुशल व्यक्तियों ने इन व्यवसायों को सीखा है और अपने काम-धन्धे बदल दिए हैं।

एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 35 प्रतिशत श्रमिकों की यह राय थी कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम से मजदूरी पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। कुछ क्षेत्रों में जहां मजदूरी कम मिलती थी वहां श्रमिकों ने काम के बदले अनाज कार्यक्रम की दर से मजदूरी की मांग करनी शुरू कर दी। सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र के 40 प्रतिशत भाग में खाद्यान्नों की कीमत में स्थिरता आई। कई श्रमिकों को मजदूरी के रूप में अनाज मिला, खासकर सूखे के समय में। मजदूरों ने न केवल अधिक खाद्यान्न का उपयोग किया बल्कि उनके आहार में पोषण की मात्रा भी बढ़ी।

गांवों में गतिशीलता

इस कार्यक्रम का गांवों पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है। कई मामलों में ग्रामीणों ने खुद परियोजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वियन के सम्बन्ध में सुझाव देने में पहल की। जहां पंचायतों ने इस दिशा में पहल की वहां ऐसा जान पड़ा कि सारा गांव निर्णय लेने में शरीक हुआ है। जहां तकनीकी विभागों ने इस प्रक्रिया में सहयोग दिया वहां योजनाओं का नियोजन और कार्यान्वियन आसान हो गया।

योजनाओं के कार्यान्वयन की समस्याएं

शुरू में गांवों में योजनाओं और आयोजन की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत काम सड़क निर्माण के क्षेत्र में हुआ। निर्माण साज-सामान की निरन्तर अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य में बड़ी रुकावट आई। समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति न होने से कई जगहों पर मजदूरों का शोषण भी हुआ।

एक सरकारी अध्ययन दल का कहना है कि योजना को बहुत ही गलत ढंग से क्रियान्वित किया गया। इसमें कहा गया है कि निर्मित सम्पत्तियों के स्थायी लाभ का अधिकांश भाग गांवों के उच्च वर्ग के लोगों को मिला। इससे आय की असमानता में और वृद्धि हुई।

कार्यक्रम का पुनर्गठन

अगर इन कार्यक्रमों को युक्तिसंगत बनाना है तो इसकी कुछ खास कमियों को दूर करना होगा और कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही कार्यक्रम को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनर्गठित किया गया तथा चालू योजना में इसे समाविष्ट किया गया है। उन परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए 10 प्रतिशत धन की व्यवस्था की गई है जिनसे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को लाभ होगा। जो योजनाएं शुरू की जानी हैं, वे हैं:—ग्राम आवास स्थलों का विकास करना, पीने के पानी के कुएं और सामुदायिक सिंचाई के कुओं की व्यवस्था करना। वनरोपण और सामाजिक वानिकी जिससे कमजोर वर्ग के लोग लाभन्वित होते हैं और जिनमें साज-सामान पर अधिक व्यय नहीं आता उनके लिए कुल धनराशि का 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

इस योजना में राज्यों को नकद सहायता देने का प्रावधान किया गया है ताकि वे चिरस्थायी सम्पत्ति का निर्माण और नकद मजदूरी की अदायगी कर सकें। इससे पहले केन्द्रीय सरकार केवल अनाज सप्लाई करती थी। वर्ष 1980 में केन्द्र ने इस कार्यक्रम के लिए 92 करोड़ रुपये आबंटित किए थे।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर जो 980 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं, वह योजना में किसी भी लक्ष्योन्मुख ग्रामीण कार्यक्रम पर खर्च किए जाने वाली राशि से अधिक हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों में से 80 प्रतिशत से अधिक लोग 16 से 45 वर्ष की उम्र समूह के हैं। 10 में से 7 मजदूर हैं। इसलिए गांवों में मानव निर्माण का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ कार्य नि:संदेह अल्पकालिक हैं परन्तु इस कार्यक्रम की असली कीमत दीर्घकालिक नियोजन के अवसर प्रदान करने में निहित है। ग्रामीण मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखने व बंधुआ मजदूरों जैसी शोषण करने वाली प्रथाओं को समाप्त करने में यह कार्यक्रम काफी सक्षम है। सबसे अहम बात तो यह है कि इस कार्यक्रम की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों में एक नई चेतना आई है और इस प्रकार यह कार्यक्रम विकास कार्यों के लिए आवश्यक जनशक्ति के सृजन में काफी योगदान दे सकेगा।☐

सारे जग से न्यारा

उत्तर में है खड़ा हिमालय, मुकुट सदृश सुहाता,
उन्नत शिखरों से नभ छू कर, निज गौरव बतलाता,
दक्षिण में प्रक्षालन करतीं, पद का सिन्धु तरंगें,
भीषण गर्जन से उद्बोधित, होतीं मृदुल उमंगें,
सिन्धु अचल के मध्य दुर्ग सा, विस्तृत देश हमारा।
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से न्यारा।।

हरी भरी फसलों से पूरित, हरा भरा है पावन देश,
गिरि-वन-निर्झर-नदी-घाटियों से शोभित इसका परिवेश,
अलंकृत करतीं सह्याद्रि-सतपुड़ा-विंध्य गिरि मालाएं,
अन्तस्तल पर बहतीं पावन, सरयू की जल धाराएं,
दुग्ध सदृश मां के वक्षस्थल पर बहती गंगा की धारा।
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से न्यारा।।

राम-कृष्ण-गौतम-गांधी ने इसका मान बढ़ाया,
धर्म विजय के लिए पार्थ ने सर गाण्डीव चढ़ाया,
ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि यह, यहां धर्म का नर्तन,
धर्म-अर्थ की, काम-मोक्ष की, होती खोज चिरन्तन,
यहीं यहीं पर उदित हुआ था, वैदिक धर्म हमारा।
सुन्दरतम इसका स्वरूप है, सारे जग से न्यारा।।

राधेश्याम 'आर्य'

हम स्वतंत्र हैं हम स्वतंत्र

श्याम बेबस

तोड़ चुके हैं सारे बंधन,
अब न कभी होंगे परतंत्र।
हम स्वतंत्र हैं,
हम स्वतंत्र!
पावन है 'गंगा' का पानी,
निर्मल है 'यमुना' की धारा।
खुले गगन में लहराता है,
विजयी-विश्व तिरंगा प्यारा।
उगल रही है धरती सोना,
खेतों तक पहुंचे हैं यंत्र।
हम स्वतंत्र हैं,
हम स्वतंत्र!
हम न किसी की धरती चाहें,
हम न कहीं अधिकार करें जी।
हम तो बस इतना ही चाहें,
आपस में सब प्यार करें जी।
हमने दिया सदा दुनिया को,
विश्व-शांति का पावन मंत्र।
हम स्वतंत्र हैं,
हम स्वतंत्र!

गांधीवादी दृष्टिकोण में राष्ट्रीय एकता

आर० आर० दिवाकर

पिछले युगों की तो बात ही क्या, अंग्रेजी शासन के पूर्व भी भारतीयों में आधुनिक विचारों की दृष्टि से इतिहास का कोई बोध रहा हो ऐसा मालूम नहीं होता है। हमारे यहां वेद, उपनिषद्, स्मृतियां और देवकथाएं और पौराणिक गाथाएं आदि थे। यद्यपि "इतिहास पुराण" शब्द प्रचलित है किन्तु आधुनिक काल में यथार्थ में इतिहास नहीं के बराबर है। उस युग के सिक्के या शिलालेख भी कम ही हैं। उस काल के इतिहास के लिए हमको भारत आने वाले मैगस्थनीज, फाहियान, ह्वेनत्सांग, अलबेरूनी जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण पर निर्भर रहना पड़ता है।

देश की एकता

किन्तु विदेशियों ने भारत को एक देश माना है। यह दूसरी बात है कि आधुनिक अर्थों में उसको राष्ट्र नहीं कहा। बाहर से आने वालों को देश की विशालता और विभिन्नताओं के बावजूद यह लगा कि देश सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से एक है।

अशोक के समय भौगोलिक दृष्टि से अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, तिब्बत, पश्चिमोत्तर प्रदेश, नेपाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र, बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगला देश भारत के ही भाग थे। उसके साम्राज्य में लगभग समूचा दक्षिण शामिल था। पूर्ण रूप से विचार करने पर यह दूर-दूर तक फैला साम्राज्य राजनैतिक तौर पर एक था और कई दशकों तक विघटन पर रोक लगी रही। आज जबकि भारत अधिक बलवान और राजनैतिक दृष्टि से एक है और इस एकता के पीछे राष्ट्रीय-आन्दोलन की परम्परा और अनुभव है, यह दुःख की बात है है कि बार-बार राष्ट्रीय एकता पर बल देना पड़ता है। इधर पर्याप्त मात्रा में विघटन हो भी गया है और विभाजित करने वाली प्रवृत्तियां राष्ट्रीय एकता की अवधारणा और आदर्श को दुर्बल बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली बनती जा रही हैं।

राष्ट्रीयता

आधुनिक अर्थ में राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार 19 वीं सदी के मध्य में हुआ था। उस समय जर्मनी, इटली, तथा यूरोप के अन्य देशों में राष्ट्र-भक्ति आन्दोलन जोर पकड़ रहे थे। इनका असर पश्चिमी शिक्षा पाए हुए भारतीयों पर पड़ना स्वाभाविक था और उनको इटली के मैजिनी को राष्ट्रीयता का मंत्र-द्रष्टा मानने में कोई हिचक नहीं थी।

राष्ट्रीयता और राजनीतिक एकता एक दूसरे के सहायक हैं। दुनिया के इतिहास में इनका जन्म बहुत बाद में हुआ है। भारत में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक एकता की अभिव्यक्ति हुई है और उसका महत्व था। राजनीतिक एकता की तुलना में सांस्कृतिक एकता कहीं अधिक शक्तिशाली बनी रही है। उत्तर में आर्य संस्कृति का आधिपत्य था, किन्तु यदि पूरे भारत की वर्तमान संस्कृति को देखा जाए, तो वह द्रविड़-आर्य या आर्य-द्रविड़ हैं और यह उस समन्वय का परिणाम है, जो बहुत दिनों तक होता रहा है। बाद में इस्लामी और इसाई या पश्चिमी संस्कृतियों का प्रभाव भारतीय संस्कृति पर पड़ा। आज उस संस्कृति को "भारत की मिश्रित संस्कृति" का नाम दिया गया है और इसमें सभी प्रभावों का समावेश है।

एकता का अभाव

इसके लिए काफी ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि भारतीय आपस में झगड़े और विदेशी शक्तियों के हाथों में खेलकर उनको भारत में घुसने और शासन करने दिया। भारतीय नरेशों ने विदेशियों के लिए खैबर दर्रा बन्द न करके उस मार्ग से सदियों तक विदेशियों के झुण्डों को यहां आने दिया था। इसी प्रकार आधुनिक काल में अंग्रेज, डच, पुर्तगाली और फ्रांसीसी पश्चिमी आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक होने के बजाय वे आपस में ही लड़ते रहे और उनके पश्चिमी समुद्री मार्ग को बन्द करने की कोई चिन्ता नहीं की। किसी संगठित नाविक नीति और विदेशियों के प्रतिकार की राष्ट्रीय इच्छा के अभाव में उन्होंने विदेशियों के लिए भारत में पदार्पण आसान कर दिया था।

शंकराचार्य ने शृंगेरी, द्वारिका, बद्री नाथ और पुरी में पीठाधीश कायम करके जब देश की सांस्कृतिक एकता को बल प्रदान किया था, भारतीय राजा और सरदार आपस में लड़ते ही रहे और विदेशियों को घुसने का पूरा मौका दिया। राष्ट्रीय और राजनीतिक एकता के निर्माण का प्रयास नहीं किया गया।

भारतीय राष्ट्रीयता

अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद भी अंग्रेज तथा विदेशी लेखक इसको देश या राष्ट्र न कहकर उप-महाद्वीप ही कहते थे। तो भी उनके और कुछ भारतीयों के प्रयासों के बावजूद यहां राष्ट्रीयता विकसित हुई। अन्त में भारत का बंटवारा हुआ और वह आज जैसा छोटा बन गया। दो राष्ट्र के सिद्धान्त के आधार पर देश के बंटवारे से सम्पूर्ण भारत के एक राष्ट्र होने की अवधारणा को आघात लगा।

गांधीजी यह मानकर चलते थे कि देश एक राष्ट्र है। उनको यहां पाए जाने वाले धर्मों, भाषाओं आदि की विभिन्नताओं का भान था। तीन बातों के लिए उन्होंने सबसे अधिक प्रयास किए थे और ये थे, हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा साम्प्रदायिक मेलजोल, हरिजनों के साथ अन्य हिन्दुओं की एकता और देश को जोड़ने वाली एक भाषा, जो हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो और नागरी तथा फारसी दोनों लिपियों में लिखी जा सकती हो। किन्तु देश को एक बनाए रखने में वे असफल रहे और उनके प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान बना।

वास्तविक हिन्दू-मुस्लिम एकता अभी भी कायम होना बाकी है और यह तभी होगा, जब तमाम धर्मों के मानने वाले सभी भारतीय अन्य देशों के प्रति वफादारी न रखकर राष्ट्र के निर्माण में हाथ बटाएंगे और राष्ट्र जीवन की मुख्य धारा अविभाजित रूप में बहेगी। हरिजनों के मामले में भी गांधीजी को आंशिक-सफलता ही मिली थी। उनका जातिहीन समाज उस समय निर्मित हुआ कहा जाएगा, जबकि हरिजन आचार्य पीठों के लिए योग्य माने जाएंगे और सभी हिन्दुओं में अन्तर्जातीय विवाह हुआ करेंगे। गांधीजी का जोड़ भाषा का प्रयास भी आंशिक रूप से सफल हुआ था। उनका विचार संविधान सभा को मान्य नहीं था और इसका कारण देश का विभाजित हो जाना था। इसलिए आज संस्कृत शब्दों पर आधारित तथा नागरी लिपि में लिखी हिन्दी का प्रचलन है। जहां तक सरकारी भाषा का संबंध है, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं उस समय तक चलती रहेंगी, जब तक दक्षिण हिन्दी को स्वीकार नहीं करता है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, त्रिभाषा फार्मूला स्वीकार किया गया है, जिसका अर्थ है कि दक्षिण में मातृभाषा, हिन्दी और अंग्रेजी पढ़ायी जाए और हिन्दी राज्यों में हिन्दी, अंग्रेजी तथा दक्षिण की एक भाषा की शिक्षा दी जाए।

गांधीजी की अन्तर्दृष्टि

आज जब गांधीजी नहीं हैं, हमें केवल इसको ध्यान में नहीं रखना है कि उन्होंने क्या कार्यक्रम शुरू किये थे, यह भी देखना है कि इसके बारे में उनकी दृष्टि क्या थी। भारत विकसित हो और विश्व में अपनी प्रतिभा के अनुसार भूमिका अदा करे, इसके लिए वे देश की स्वतंत्रता को आवश्यक मानते थे। उनका विचार था कि जरूरत पड़ने पर, भारत को विश्व की भलाई के लिए अपना बलिदान करने को तैयार रहना चाहिए। अपनी दैनिक प्रार्थना में गांधीजी ने सभी धर्मों के प्रति समभाव पर बल दिया था और पूर्ण अध्ययन के बाद धर्म-परिवर्तन के विरोधी थे। अन्य क्षेत्रों की भांति इस क्षेत्र में भी सद्भाव और स्वतंत्र इच्छा के वातावरण में वे मानवीय व्यक्तित्व के विकास को महत्व देते थे। वे चाहते थे कि प्रत्येक नागरिक पहले अपने को भारतीय समझे। भाषा के संबंध में वे प्रथम स्थान मातृभाषा को देते थे, किन्तु उनकी यह इच्छा भी थी कि आज जो अंग्रेजी का दर्जा है, वह हिन्दी को मिले। वे हृदय से जाति को समाप्त करने के पक्ष में थे। वे प्रतिद्वन्द्वात्मक समानता के पक्ष में ही न होकर व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के क्षेत्र में बराबर साझेदारी के पक्ष में भी थे। राष्ट्र निर्माण और सामाजिक कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने स्पर्धा और वैमनस्य पर बल न देकर सहयोग और मेल-मिलाप पर जोर दिया था।

निःसंदेह, वे भारत को साक्षर और शिक्षित देखना चाहते थे। किन्तु इसको केवल एक बौद्धिक महत्व न देकर वे उसकी आवश्यकता चरित्र और अनुशासन के लिए मानते थे। उनके यह विचार आज कितने प्रासंगिक हैं, यह इससे प्रकट हो जाता है कि आज समाज में नैतिक मूल्यों का क्षय हो गया है और अनुशासनहीनता फैली हुई है। हमारी शिक्षा व्यवस्था में संविधान में वर्जित एकता को महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। गांधीजी ने अपने जीवन भर इसका प्रयास किया कि सत्य को सर्वोच्च मूल्य माना जाए और उसकी प्राप्ति के प्रयत्न प्रेम तथा हिंसा द्वारा हों। इस मामले में वे चाहते थे कि भारत नेतृत्व करे। आज देश में राजनैतिक तथा उसी तरह की अन्य एकताएं तो हैं, किन्तु भावात्मक एकता का तथा सामान्य अध्यात्म और सांस्कृतिक आदर्श पर स्थापित एकता काफी गहरी नहीं है। देश में बड़ी मात्रा में विघटनकारी शक्तियां हैं, जिनको बगैर कुछ किए समाप्त नहीं किया जा सकता है। उनका अध्ययन किया जाना चाहिए और उनकी रोकथाम के लिए उचित कदम खोजने चाहिएं। राष्ट्रीय एकता भारत में अभी एक पौधा ही है। सम्पूर्ण देश में एकता को मजबूत बनाने के लिए जागृति तथा सतर्कता अत्यन्त जरूरी है। □

हर स्त्री पुरुष को चाहिए कि जिन्दा रहने के लिए श्रम करे। मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग न सिर्फ आजीविका या उससे भी ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए, बल्कि सेवा के लिए, परोपकार के लिए करना चाहिए।

—महात्मा गाँधी

हमारा लोकतंत्र

※

डा० आर० के० दत्त शास्त्री

विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र भारत की एवं छठी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की देन 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम वर्तमान भारत की उन्नति एवं लोकतन्त्र की रक्षा तथा मानव समाज और पिछड़े वर्ग की उन्नति का द्योतक कहा जाना उचित तो है ही साथ ही लोकतन्त्र की रक्षा का प्रतीक भी है।

20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का 50 करोड़ भारतवासियों को मार्ग दर्शन के साथ-साथ अमीरी-गरीबी की बढ़ती खाई को पाटने का कार्यक्रम है।

इन्हीं 20 सूत्री कार्यक्रमों के अनुरूप 5 सूत्री कार्यक्रम भी महत्वपूर्ण है। अतः सच्ची स्वतन्त्रता के फल का उपभोग करने के लिए हमें आत्मानुशासन के मर्म को समझना चाहिए। आत्मानुशासन सामूहिक स्वतंत्रता की पहली शर्त है।

अनुशासन, सहिष्णुता और एक-दूसरे के प्रति सम्मान के भाव के बिना लोकतन्त्र की रक्षा एवं जीवन पद्धति असम्भव है। सबसे सच्ची और पूर्ण स्वतन्त्रता वही है जिसमें सबसे अधिक अनुशासन और विनम्रता है। जन्मजात लोकतन्त्रवादी, जन्मजात अनुशासनवादी भी होता है।

गरीबों और असहायों की हितैषिणी तथा आज की हमारी लोकप्रिय जननेत्री तथा भारत की वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को उपर्युक्त गुणों से युक्त कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का महत्व स्वीकार करते थे। परन्तु उनका कहना था कि मनुष्य चूंकि एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसे अपनी इस स्वतंत्रता का प्रयोग बहुत ही संयमता के साथ करना चाहिए। वैयक्तिक स्वतंत्रता के नाम पर अराजकता और उच्छृंखलता बिल्कुल गलत और लोकतन्त्र के विरुद्ध है। यह तो स्वतन्त्रता के विनाश का रास्ता है।

यदि हम लोकतन्त्र की सच्ची भावना का विकास करना चाहते हैं तो असहिष्णुता को सर्वथा त्याग देना होगा। असहिष्णुता का मतलब है कि हमें अपने उद्देश्य की सच्चाई में विश्वास नहीं है। असहिष्णुता तो स्वयं ही एक प्रकार की हिंसा है और सच्ची लोकतान्त्रिक भावना के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। हमें अपने विरोधी की बात सुनने को सदा तत्पर रहना चाहिए। यह तो आवश्यक है ही कि हम अपने विश्वासों और मान्यताओं के अनुसार निर्भय होकर काम करें किन्तु हमें अपना दिमाग बराबर खुला रखना चाहिए और अपनी धारणा गलत सिद्ध हो तो इसे स्वीकार करने से हिचकना नहीं चाहिए। इस प्रकार दिमाग को बराबर खुला रखने से हमारे अन्दर जो सत्य है उसे बल मिलता है और उसमें कोई दोष होता है तो वह दूर हो जाता है। कोई भी सही निर्णय के एकाधिकार का दावा नहीं कर सकता। हमसे गलती होने की संभावना बराबर बनी रहती है और अक्सर हमें अपने पहले मतों या निर्णय में परिवर्तन करने को बाध्य होना पड़ता है। यद्यपि व्यक्तियों और समुदायों को अपने हार्दिक विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता और अवसर मिलना ही चाहिए किन्तु स्वयं अपने प्रति दूसरों के प्रति इमानदारी बरतने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने विरोधी के दृष्टिकोण को भी समझने की कोशिश करें और यदि हम उसे स्वीकार न कर सकें तो कम से कम उसके दृष्टिकोण को उतना आदर तो दें ही जितने आदर की अपेक्षा हम उससे अपने दृष्टिकोण के लिए रखते हैं।

असत्य और हिंसात्मक उपायों से सच्चा लोकतंत्र कायम नहीं किया जा सकता, न लोकतन्त्र की रक्षा ही हो सकती है। लोकतन्त्र की भावना किसी पर ऊपर से थोपी नहीं जा सकती। इसे तो व्यक्ति के हृदय से विकसित होना चाहिए। लोकतन्त्र में सबसे निर्बल व्यक्ति को भी उतना ही अवसर मिलना चाहिए जितना कि सबसे सबल व्यक्ति को मिलता है। और यह अहिंसा एवं जन सहयोग तथा कड़े परिश्रम के बिना असंभव है। दुनिया का कोई भी देश आज किसी कमजोर देश का ख्याल नहीं करता, अतः हम सब भारतवासियों को अपने लोकतंत्र की रक्षा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को एकता और सहिष्णुता तथा गंभीरता से अपना कर करनी चाहिए।

दृढ़ संकल्प

उदय न होगा भानु पूर्व छोड़ पश्चिम में,
मणि मय दीप की न ज्योति बुझ पाएगी।
बहेगी न उल्टी गंगा, झुकेंगे न वीर शिर,
प्रकृति स्वधर्म में न कभी चूक जाएगी।
मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण,
मेरा है सम्मान मेरे देश की बड़ाई में।
जीऊंगा स्वदेश हित, मरूंगा स्वदेश काज,
देश के लिए न कभी करूंगा बुराई मैं।

प्राध्यापक, रा० ब० बाल विद्यालय,
दिल्ली राज्य, दिल्ली

चाय साथी—ग्राम जनता के लिए वरदान

के० सी० सांवल

यह एक ग्राम धारणा बन चुकी है कि चाय का एक गरमा-गरम प्याला, मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की थकावट को दूर करके, आदमी को नरो-ताजगी देता है। आजकल हमारे देश में चाय सर्वप्रिय पेय है जो अमीर और गरीब सब को पसन्द है। वैसे चाय को पोषक भी बनाया जा सकता है यदि थोड़ी दूध की मात्रा अधिक और कुछ अन्य पोषक तत्व भी इसमें डाले जाएं। परन्तु आज के जमाने में ऐसे कितने लोग हैं जो दूध का अधिक प्रयोग कर सकते हैं ? हमारी जनसंख्या का काफी बड़ा भाग गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह करता है और दूध का एक गिलास तो उनके लिए अय्याशी समझिए।

भारत सरकार का खाद्य और पोषण मंडल इस तथ्य से परिचित है। यही नहीं, कुपोषण की समस्या सुलझाना भी एक दुष्कर कार्य है। तो भी इस मंडल ने इस दिशा में दूध जैसे एक पदार्थ, जिसे "चाय साथी" का नाम दिया गया है, के उत्पादन और विपणन का श्रीगणेश किया है। चाय साथी जिसे अंग्रेजी में "टी एनरिचर" कहा गया है, वनस्पति प्रोटीनों और वसा पर आधारित है और टोन्ड (सपरेटा) दूध जैसा ही पोषक गुणों वाला है।

प्रथम सूत्र

राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल द्वारा वड़ौदा में किए गए एक सर्वेक्षण से उत्पादन तरीके का पहली बार पता चला जिसमें बड़ौदा डेयरी ने इसका सफल विपणन प्रारंभ किया। बाजार के अध्ययन से यह पता चला कि डेयरी जो तरल दूध बेचती है उसकी खपत केवल मध्यम और ऊंची आय वाली श्रेणियों के लोगों में ही ज्यादा है जबकि यह दूध निम्न वर्ग वालों के बूते से बाहर है। वास्तव में वे ग्राम दूधियों से ही थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दूध लेने के लिए मजबूर थे। अध्ययन से यह भी पता चला कि निम्न आय वर्ग के 90 प्रतिशत लोग केवल चाय तैयार करने के लिए ही दूध खरीदते हैं यहां तक कि वे अपने छोटे बच्चों को भी दूध न देकर चाय ही देते हैं। यह दूध वास्तव में काफी दूषित और मिलावटी होता है। इस प्रकार गरीब लोग इस अस्वास्थ्यकर और मिलावटी दूध को खरीदते हैं जो कि वास्तव में प्रति यूनिट, पोषक तत्वों की दृष्टि से, अच्छी आय वाले लोगों द्वारा खरीदे गए दूध की अपेक्षा बहुत मंहगा पड़ता है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल ने जनता की, खास तौर पर गरीब जनता की, सहायता के लिए इस क्षेत्र में प्रयास प्रारंभ किए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दूध को यदि पोषक रखा गया तो यह कभी भी गरीब लोगों की खरीद क्षमता में नहीं आ सकता। खाद्य विभाग के खाद्य और पोषण मंडल ने ऐसी योजना को बढ़ावा देने की संभावना पर विचार किया जो एक ऐसे पदार्थ का विकास कर सके जो दूध जैसा पौष्टिक हो परन्तु काफी सस्ता हो ताकि गरीब लोग उसे खरीद सकें। इसके द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल को दिए गए आर्थिक सहयोग और इस दिशा में अपनाई गई दूरदृष्टि के परिणाम-स्वरूप ही कम कीमत और दूध जैसे पदार्थ–चाय साथी का विकास और उत्पादन संभव हो सका।

चाय साथी से जहां अच्छी चाय बनाई जा सकती है वहां दही आदि भी उतना ही पोषक बनाया जा सकता है जितना डेयरी वाले दूध से। इसमें विटामिन "ए" भी मिला हुआ है। केन्द्रीय खाद्य विभाग की आर्थिक सहायता से राष्ट्रीय डेयरी विकास मंडल ने बड़ौदा डेयरी में चाय साथी के उत्पादन के लिए अलग विभाग का निर्माण किया है। इसका विधिवत उत्पादन 1976 में प्रारंभ हुआ। पिछले पांच वर्षों के दौरान इसका उत्पादन रिकार्ड इस प्रकार रहा :—

1976	74782 लीटर
1977	382868 लीटर
1978	910625 लीटर
1979	1166788 लीटर
1980	1884883 लीटर

चाय साथी इस समय केवल गरीब और निम्न आय वर्ग वाले क्षेत्रों में विशेष प्रकार से तैयार किए गए 35 बूथों द्वारा एक रुपया प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है जो डेयरी दूध की आधी कीमत से भी कम है।

चाय साथी के उपयोग से लोगों में उत्साह और प्रोत्साहन मिला। इसके नमूने का कुछ चुने हुए लोगों पर परीक्षण किया गया जिसमें उन्हें यह नहीं बताया गया कि यह क्या वस्तु है। इसके जो परिणाम प्राप्त हुए उनके द्वारा चाय साथी को चाय में प्रयुक्त करने पर लोगों ने इसे "अच्छे" से "उत्तम" तक का स्थान दिया। तत्पश्चात् इस उत्पादन को बिक्री के लिए तैयार किया गया। अनुभवों से पता चला है कि इसे देश के अन्य शहरों के कम आय वर्ग वाले लोग भी पसन्द करेंगे। चाय साथी देखने में और प्रयोग करने में बिल्कुल दूध जैसा है और दूध के सभी उपयोगों के उपयुक्त है।

चाय साथी विटामिन "ए" युक्त है क्योंकि ऐसी धारणा है कि बड़ौदा में फैली भयानक बीमारी रतौंधी इसी विटामिन की कमी के कारण हुई है। इस को उन क्षेत्रों में बेचा जाता है जहां समाज के कम आय वाले लोग रहते हैं। इसलिए गरीबों के लिए यह विटामिन "ए" प्राप्त करने का एक अच्छा साधन है। □

अनु० हनुमान सिंह पंवार

पहला सुख निरोगी काया

एक तंदरुस्ती हज़ार नियामत ✱

राम रत्न पोपली

मनुष्य संसार में चार प्रकार के काम किया करता है अर्थात् धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परन्तु इन चारों का मूल आरोग्यता ही है। स्वास्थ्य के बिना कोई भी काम कर सकना संभव नहीं है। अतः स्वास्थ्य रक्षा ही असली धर्म है।

सरकार प्रति वर्ष जनता के स्वास्थ्य सुधार पर अधिक से अधिक राशि खर्च करके अधिक अस्पताल, मैडिकल कालेज खोल रही है परन्तु बीमारियाँ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं क्योंकि स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान स्कूलों के शिक्षा काल में बिल्कुल नहीं दिया जाता। स्वास्थ्य के बिना राष्ट्र निर्माण असम्भव है, इसलिए माता-पिता जागरूक होकर अपने परिवार में स्वास्थ्य के नियमों का पूरा ज्ञान कराएं और सभी नियमों का श्रद्धापूर्वक पालन अपनी दिनचर्या में कराएं।

दिनचर्या और ऋतुचर्या

यह सब नियम वही हैं जिनका श्रद्धापूर्वक पालन हमारी प्राचीन संस्कृति की परंपरा के अनुसार हमारे सभी पूर्वज सर्वदा किया करते थे और जो गांधी जी, महामना मालवीय जी तथा अन्य राष्ट्र नेताओं ने हमारे सामने स्वयं करके दिखाया। आज इस पवित्र भारत भूमि पर प्राचीन संस्कृति का लोप होकर, विदेशी खान-पान और विचार-धारा का प्रभुत्व है जिसको शीघ्र बदलने और इस मानसिक गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए तूफानी अभियान की जरूरत है।

हमारे पूर्वजों की दिनचर्या

प्रातः सूर्योदय से दो घंटे पूर्व बिस्तर छोड़-कर, कुल्ला करके मौसम के अनुसार ठण्डा-गर्म जलपान, शौच निवृत्ति, दन्त-धावन, व्यायाम, तेल मालिश, घर्षण स्नान, पूजा-स्वाध्याय, सात्विक शुद्ध भोजन, लग्नपूर्वक व्यवसाय कार्य में लग जाना चाहिए।

एक वर्ष में 6 मौसम हमारे देश में माने जाते हैं। प्रत्येक मौसम 2 मास का होता है। वर्षा का मौसम भी श्रावण और भादों के दो मास का होता है, इसमें मलेरिया, हैजा जैसे कष्टदायक रोग हो जाते हैं। इस मौसम में सब पदार्थों और शरीर में गीलापन होता है। वायु के विकार बढ़ते हैं। पाचन कमजोर होता है अतः सावधान रहना जरूरी है। हल्का, ताजा शुद्ध भोजन, खूब चबाकर, शांत मन के साथ करना और ब्रह्मचर्य तथा संयम का पालन तथा अद्रक-प्याज-नींबू-पुदिना-धनिया-इमली की चटनी का प्रयोग श्रेष्ठ है। मादक द्रव्यों (बीड़ी-शराब) का सर्वदा त्याग करना जरूरी है। यदि हैंजा हो जाए तो कर्पूर-रस की गोली नींबू या प्याज के रस के साथ सेवन करें। कर्पूरासव और अहिफेनासव का प्रयोग हैंजा के लिए रामबाण है। इन दिनों अकसर गर्मी से मरहोरी निकल आती हैं। मुलतानी मिट्टी के लेप से मरहोरियों का शमन हो जाता है। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च और सेंधा नमक की चटनी बना कर सेवन करते रहने से मलेरिया का प्रकोप नहीं होता। ☐

राम रत्न पोपली,
वैद्य,
द्वारा आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र,
162, भगत सिंह मार्किट, नई दिल्ली-1

जात-पांत और छुआछूत का जहर हमारे समाज को खोखला कर रहा है। इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए युवा वर्ग को आगे आना होगा।

कहानी

मौन सन्देश

बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

उस रात सामूहिक ईद-मिलन के अवसर पर आयोजित उत्सवों में भाग लेकर काफी देर से घर लौटा था। हर्ष और उल्लास भरे वातावरण में दोपहर से कब रात के दस बज गए, पता ही नहीं चला। सिवइयां इतनी खा ली थीं कि घर पहुंचकर कुछ और खाने की आवश्यकता न रही थी। अतः बिस्तर की शरण ली और नींद आने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु उस रात जैसे मेरी नींद भी कहीं दूर अन्य लोगों से ईद मिलने चली गई थी। उसकी प्रतीक्षा करते अनेक सुखानुभूतियां मेरे मन और मस्तिष्क में सजीव होती रहीं। उनके बीच मैं न जाने कब प्रगाढ़ निद्रा की गोद में पहुंच गया।

अर्धरात्रि बीत रही होगी, जब मैंने करवट बदलने के लिए सिर के नीचे से अपना दायां हाथ हटाना चाहा, तो मुझे कमरे में कई अपरिचित आवाजें सुनाई दीं। ये लोग कौन हैं? यहां कमरे में कैसे घुस आए? मैंने तो भली भांति सभी दरवाजों को अन्दर से बन्द कर लिया था। खिड़कियों और रोशनदानों में लगी मजबूत लोहे की छड़ों के कारण अन्दर घुसना संभव नहीं है, तो क्या दीवार में से सेंध काटकर अन्दर घुसे हैं? परन्तु सेंध काटकर तो चोर घुसते हैं, वे अन्दर आकर इस प्रकार आपस में नोंक-झोंक नहीं करते। ऊपर से अधिकांश आवाजें लड़कियों जैसी हैं। बस बीच-बीच में एक लड़का अपने मोटे गले से भारी आवाज करने लगता है। कहीं ये किन्हीं प्रेतात्माओं की आवाजें तो नहीं हैं। ऐसा विचार आते ही मेरी नींद से भरी पलकें और भी भारी हो गईं। आंखें खोलकर देखने का साहस न रहा। तभी किसी प्रौढ़ महिला की गंभीर आवाज मेरे कानों

के ... ही सुनाई दी। वह कह रही थी—

"तुम सभी इस तरह हो-हल्ला क्यों मचा रहे हो? जो कुछ कहना हो, सभ्य लोगों की भांति एक-एक करके अपनी बात कहो। मालिक दिन भर के थके अभी सोये हैं, तुम्हारा शोर सुनकर अंधेरे में इधर-उधर कहीं हाथ पटक दिया, तो हम सभी को नाहक चोट लगेगी।"

प्रौढ़ा की बात का सभी पर सम्भवत: अनुकूल प्रभाव पड़ा, तभी तो वे चुप हो गए। मुझे भी यह सोच कर कुछ राहत हुई कि अवाजें चाहे प्रेतात्माओं की क्यों न हों, वे दुष्ट आत्माएं नहीं हैं। उनका मौन अधिक देर न रहा, पर उनकी आपसी नोंक-झोंक ने जैसे वाद-विवाद का रूप ले लिया था।

जाने कैसी शक्लें हों इन सबकी। कमरे की बत्ती बुझाकर मैं बिस्तर पर लेटा था, अतः घुप अंधेरा ही होगा। क्यों न आंखें खोलकर कुछ आभास लूं। यह सोचकर मैंने जैसे ही आंखों पर से पलकों का बोझ हल्का करना चाहा, मुझे अपने पलंग पर ही वाद-विवाद की सारी कार्यवाही होती प्रतीत हुई। मेरी आंखें उस समय भले ही मुंदी थी, पर मेरे कान सब कुछ सुन रहे थे। कार्यवाही स्थल कहीं दूर नहीं मेरे तकिये के नीचे था। वाद-विवाद किन्हीं आत्माओं के मध्य नहीं मेरे दाएं हाथ की पांचों अंगुलियों में हो रहा था और अध्यक्षता कर रही थी हथेली।

उस समय मेरा कौतूहल अपनी चरम-सीमा पर था। मैं जीवन में पहली बार अपनी अंगुलियों को बोलता हुआ सुन रहा था। अध्यक्ष की अनुमति पाकर प्रत्येक ने बारी-बारी से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। वाद-विवाद इस बात पर हो रहा था, कि पांचों अंगुलियों में से कौन सी अंगुली मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हथेली मां की पांच संतानों में चार लड़कियां हैं और एक लड़का, अतः सर्वप्रथम लड़के को ही अपना तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। नटखट अंगूठा बोला—

"अपनी बड़ाई अपने मुंह से क्या करूं। सभी देखते और जानते हैं कि मैं पांचों भाई बहनों में सबसे अधिक हृष्ट-पुष्ट हूं। अध्यक्ष महोदया, आप को भी जब कोई कठिन काम हम में से किसी एक के द्वारा कराना होता है तो मुझे ही उसको सौंपती हैं। किसी काम में अधिक दबाव डालने की जरुरत होती है तो मेरा ही इस्तेमाल किया जाता है। काम ही नहीं दाम प्राप्त करने में भी मानव के लिए मेरा प्रयोग करना एक वैधानिक अनिवार्यता है। 'अंगूठा निशानी' का महत्व किसी से छुपा नहीं है। अपने बल, पराक्रम, रोब-दाब आदि का रुतबा दूसरों पर कायम करने की दृष्टि से तुम सभी अंगुलियों को पीछे समेट कर मानव मुझ अंगूठे को ही आगे निकालकर दिखाता है। किसी को 'अंगूठा दिखाना' कोई हंसी-खेल नहीं होता मेरी ऐसी स्थिति है कि जब चाहूं तुम सभी को अंगूठा दिखा दूं।"

मेरा अंगूठा मेरे लिए इतने काम का है, इस पर मैंने भी कभी नहीं सोचा था। सुनना चाहा कि अंगुलियां अपना-अपना पक्ष क्या कह कर प्रस्तुत करती हैं। मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी, पर अब मैं यह सोचकर आंखें नहीं खोल सकता था, कि कहीं मेरे जगने पर मेरी अंगुलियां बोलना बन्द न कर दें। अंगूठे के उपरान्त अध्यक्षा ने अंगुलियों को क्रम से बोलने का अवसर दिया। पहली अंगुली, तरजनी, बोली—

"संसार में आजकल ही नहीं, मानव सभ्यता के आदिकाल से शासन के कार्यों का संचालन मेरे माध्यम से किया जाता रहा है। किसी मां को अपना बच्चे को प्यार से पास बुलाना हो, चाहे नाराज होकर दूर भगाना हो वह मुझे ही हिलाकर उसे निर्देशित करती है। मुझे ही ऊपर उठाकर कोई शासक हो या सेनापति अपने अधीनस्थ सहयोगियों तथा सैनिकों को आदेश देता है। मैं जिसकी ओर उठ जाती हूं, उसी को सावधान बना देती हूं। कक्ष में अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाने तथा उनको व्यावहारिक कार्यों में मार्गदर्शन देने में मेरा ही सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं। मेरी महत्ता इस एक सन्दर्भ से स्पष्ट हो जाती है, कि त्रेता युग में महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ के अवसर पर राम द्वारा धनुष भंग किए जाने के बाद क्रोधित भगवान परशुराम, किशोर लक्ष्मण पर अपना सारा क्रोध कंधे पर रखे अपने महाजयी फर्से को उठाकर नहीं वरन् बार-बार मुझे ही उनकी ओर उठाकर व्यक्त कर रहे थे। तभी तो लक्ष्मण ने कहा था—इहां कुम्हड़ बतिया कोउ नाहीं, जो तर्जनी देखि डर जाहीं। आज की प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के चुनावों में भी किसी अन्य अंगुली पर नहीं, मुझ पर निशान लगवा कर वोट डाला जा सकता है। वस्तुतः सारे संसार में मैं ही शासन करती हूं। हमारा यह मोटू भैया—अंगूठा कितना ही ताकतवार क्यों न हो, कोई इसे दिखा कर शासन नहीं चला सकता। मानव के लिए मुझसे अधिक महत्वपूर्ण कोई भी अंगुली नहीं है"।

तरजनी द्वारा अपनी बात कहने का ढंग कुछ ऐसा रोबिला था कि बिस्तर पर लेटे हुए ही सही मैं भी अपने स्थान पर पहले से अधिक सावधान की हालत में आ गया था। कितनी राज की बातें मुझे सुनने को मिल रही थीं। पर मैं किसी अंगुली को बातें करते देख नहीं सकता था, यही मेरी तत्कालीन असमर्थता थी। बीच की अंगुली मध्यमा की बारी आई तो वह अपने स्थान पर से ही अपने दम्भी स्वभाव के अनुरूप बोली—"मैं तो जन्मजात तुम सभी से बड़ी हूं। केवल लम्बाई ही नहीं, सुगठित पूरा शरीर पाया है। मेरी रक्षा के लिए तुम में से दो-दो मेरे दोनों ओर अंगरक्षकों की भांति हर क्षण साथ लगी रहती हो। किसी राजा या नवाब की तरह रहती हूं। मैं अपनी श्रेष्ठता के कारण ही मानव के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण। रही वोट डालने की बात जैसा मेरी तरजनी बहन ने कहा वह सर्वदा सत्य नहीं। अभी कुछ वर्ष पहले जब भारत जैसे महान प्रजातांत्रिक देश में संसद् तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव कुछ महीनों के अंतर पर ही अलग-अलग पड़े थे, तो चुनाव आयोग ने तरजनी की अयोग्यता के कारण मुझ पर निशान लगाया जाना निर्धारित किया था। परिवार तो पांच अंगुलियों का है, फिर अन्य को छोड़कर मुझे ही क्यों वरीयता मिली। कारण यह कि मैं मानव के लिए विशेष महत्व की हूं। राजा-महाराजाओं की भांति मुझे कुछ विशिष्ट अवसरों पर ही कार्य करना होता है।"

बीसवीं शताब्दी के इस उत्तरार्ध काल में भी राजशाही का रोब जताने वाली मध्यमा की बातें जैसे अन्य अंगुलियों को ठेस पहुंचा रही थीं। अतः वे आपस में कुछ फुसफुसाहट करती रहीं, जिसे मैं साफ न सुन सका। काश मैं सम्पन्न हो रही कार्यवाही को अपनी आंखों से देख सकता। अध्यक्षा के शांत कहने पर वातावरण पुनः शांत हो गया। मध्यमा भी कुछ

उत्तेजित हो कर यह कहकर अपने स्थान पर बैठ गई कि कोई चाहे या न चाहे, सत्यता को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।

अब बोलने की बारी आई अनामिका की। अपने गंभीर स्वभाव के अनुसार बड़ी शालीनता से उसने अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत किए। —"मनुष्य की यह स्वाभावगत विशेषता रही है कि वह जिसे जितना ही अधिक प्यार करता है, उसको उतना ही सजा-संवार कर रखता है। लोग मुझ को ही अंगूठी पहनाते हैं। आर्थिक स्थिति के अनुसार यह बात अलग है, वह हीरे की अंगूठी हो या लोहे का छल्ला। इससे यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, कि मानव के लिए मेरी महत्ता अन्य सभी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक है। यही नहीं अपने मालिक का कोई पूजा-पाठ, दान-दक्षिणा, हवन-यज्ञ आदि बिना मेरे सहयोग के पूरा ही नहीं होता। पुरोहित जी मुझ में ही कुश की पत्री धारण कराते हैं। किसी अन्य को इसके योग्य नहीं समझा जाता। अपनी सुन्दरता का बखान अपने ही मुंह से करना नहीं चाहिए पर यह अवसर है कि कहना पड़ रहा है। मैं न तो मध्यमा बहन की भांति अत्यधिक लम्बी और मोटी हूं, न कनिष्ठिका बहन की तरह दुबली, पतली और छोटी हूं। अंगूठा तो लड़का ही है, तरजनी की भांति मुझमें नारी सुलभ कोमलता का अभाव भी नहीं है। तभी तो मैं अपने मालिक को सर्वाधिक प्यारी हूं। अध्यक्षा महोदया, मुझे अपने पक्ष में इसके अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।"

अनामिका की अर्थभरी बातें सुनकर मैं स्वयं को लज्जित अनुभव करने लगा, क्योंकि मैंने उसमें हीरे या सोने की कौन कहे लोहे की अंगूठी भी नहीं पहन रखी थी। पर मेरी इस मजबूरी को वह भली भांति समझती है तभी तो मेरे सम्बन्ध में उसने कोई शिकायत नहीं की। मैंने मन ही मन निश्चय किया कि निकट भविष्य में शीघ्र ही अपनी प्यारी अनामिका के लिए एक अंगूठी अवश्य गढ़ानी है।

तभी सबसे अन्त में अपनी बात कहने मंच पर पहुंची कनिष्ठिका। वह कुछ कहती इसके पहले ही अंगूठा तथा अन्य अंगुलियां उसके दुर्बल और नन्हे आकार को देखकर हंसने लगे। परन्तु उसने बिना विचलित हुए बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बोलना शुरू किया— "अध्यक्ष महोदया, अपने बल पर अभिमान करने वाला मेरा बड़ा भाई अंगूठा और अपने गुणों का विविध रूपों में बखान करने वाली मेरी बड़ी बहनें इस समय भले ही अपनी-अपनी आत्मप्रशंसा करके फूले न समा रहे हों, परन्तु इन सभी की पोल उस समय खुल जाती है जब अपने मालिक का कोई दुश्मन सामने होता है। उस क्षण आवश्यकता होती है मालिक द्वारा उस पर मुष्टि प्रहार करने की। इस घूंसे की मार में मैं ही सबसे आगे रहती हूं और अपने मुहं मियां मिट्ठू बनने वाले इन लोगों में से जो जितना मोटा है उतना ही पीछे रहता है। मैं प्रथम पंक्ति में रहने वाले सैनिक की भांति दुश्मन पर प्रहार करती हूं। और यह सभी मात्र पीछे सहारा देते हैं। मालिक को मुझ पर पूरा विश्वास है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी और दुर्बल भले ही लगती हूं, परन्तु मानव को मेरे आत्मविश्वास और कर्त्तव्य निष्ठा पर पूरा यकीन रहता है। तभी तो वह अपने ऊपर आई आपत्ति के समय रक्षा दायित्व मुझे सौंपता है। वस्तुत: मैं ही अपने पूरे परिवार में सर्वाधिक शक्तिशाली हूं और अपने मालिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण भी।"

मैं आंखें मूंदी होने के कारण उस समय देख तो नहीं सकता था परन्तु सुनकर यह स्पष्ट हो रहा था कि मेरी कनिष्ठिका ने अन्य सभी की बोलती बंद कर दी। उसके अपने स्थान पर लौटने के बाद कुछ क्षण पूर्ण सन्नाटा रहा। तभी अध्यक्षा महोदया श्रीमती हथेली जी ने अपना अध्यक्षीय भाषण प्रारंभ किया। वह बड़ी आत्मीयता से बोली—"मेरी प्यारी संतानों मुझे तुम सभी की बातें विस्तार से सुनने का अवसर मिला। इसे मैं अपना अहोभाग्य मानती हूं। तुम सभी ने अपने-अपने पक्ष में जो बातें कहीं वह अपने-अपने स्थान पर सत्य हैं। अपने परिवार को गौरव प्रदान करने में तुम सभी का विशिष्ट स्थान है। मनुष्य के हाथ ही उसके लिए अधिकांश कार्य करते हैं। निश्चय ही इतने महत्वपूर्ण हाथ की उपयोगिता हमारे "हथेली-परिवार" से ही है। तुम अंगुलियों के बिना मुझ हथेली को कोई नहीं पूछेगा और अपने हाथ की ही नहीं मालिक की अपेक्षा होगी। वस्तुत: तुम सभी अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हो परन्तु तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारी एकता और सहयोग में ही तुम्हारा सम्पूर्ण बल निहित है। अन्य अंगुलियों के अभाव में किसी एक अंगुली का महत्व नहीं रह जाता। यदि किसी के हाथ में तुम चारों-अंगुलियां न हों तो अकेले अंगूठे वाला आदमी किसी को अंगूठा दिखाने लायक नहीं रहता। मुझ हथेली में बल तुम पांचों के साथ-साथ रहने पर स्वत: बढ़ जाता है। तुम्हारे परस्पर मिले रहने पर ही मानव अपने विरोधी को झापड़ मारने में समर्थ होता है और घूंसा मारने के लिए तुम सभी एकीकृत सहभागी और सहयोग अपेक्षित होते हैं। अत: तुम सभी को चाहिए कि अपने-अपने विशिष्ट स्थान के अनुरूप कार्य करते हुए आपसी प्रेम, सदभाव, सहयोग और भाईचारे को बनाए रखो। इसी में तुम्हारा, मेरा और अपने मालिक मानव का कल्याण है।"

अध्यक्ष महोदया की बातों ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगा। मेरी आंखें खुल चुकी थीं, बाह्य रूप से और अन्तर्मन की भी। परन्तु ताली बजाने से लगी चोट के कारण मेरी अंगुलियां मौन हो गईं। तब से वह मौन रहकर भी एकता, सह-अस्तित्व, सहयोग और सदभावना का संदेश दे रही हैं। राष्ट्रीय एकता का प्रश्न हो या अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव का, जातीय मतभेद, पारिवारिक कलह हो, भाषा विवाद हो चाहे प्रान्तीयता की संकीर्णता धार्मिक तनाव हो चाहे सामाजिक विद्वेश सभी मानवीय समस्याओं का समाधान इनके मौन संदेश में निहित है। ☐

प्रसार प्रशिक्षण अधिकारी,
प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र
मैनपुरी (उ०प्र०) 205001

साहित्य समीक्षा

उपसंहार (उपन्यास) : लेखक : योगेश गुप्त, प्रकाशक : नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 200, मूल्य : 25 रुपये।

कथाकार योगेश गुप्त का नाम हिन्दी जगत के लिए जाना पहचाना है। योगश गुप्त का नवीनतम उपन्यास उपसंहार एक लेखक की मानसिकता को पूरे परिवेश के साथ प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास के नायक सुधीर के चारों तरफ एक ऐसी दुनिया घूम-फिर रही है जिसका प्रत्येक सदस्य कहीं न कहीं अपराधी है। सुधीर को केन्द्र बिन्दु बनाकर कथाकार ने फ्लैश बैंक की तकनीक द्वारा जीवन संघर्ष से निराश थके हारे व्यक्ति की गाथा व्यक्त की है जो लेखक बनने की क्षमता रखते हुए अर्थाभाव में पिसकर टूट जाता है। सुधीर के अतिरिक्त तीन प्रमुख नारी पात्र हैं जिनके साथ सुधीर की कहानी जुड़ी हुई है। सुधीर की पत्नी है रमा—जो तीन बच्चों की मां है और अपनी गृहस्थी में कर्त्तव्य परायण। सुधीर की पुत्री संज्ञा अपने पिता की मानसिकता से परिचित है। संज्ञा युवा चेतना की प्रतीक है जो पुरानी पीढ़ी को नए विद्रोह के मार्ग पर लाना चाहती है।

रमा और संज्ञा के अतिरिक्त तीसरा नारी पात्र है प्रतिभा, जिसका चुम्बकीय आकर्षण सुधीर को अपनी ओर खींचता है और हर उलझन की घड़ी में उसके पास जाकर राहत का अनुभव करता है। प्रतिभा के सम्पर्क में उसकी सौन्दर्य चेतना जाग उठती है सुधीर स्वीकार करता है—"इस समय वह मेरे दिमाग पर बुरी तरह हावी है मेरा चेतन और अवचेतन उसके बिम्बों से आक्रान्त है, शायद इसको ही प्रेम कहते हैं।" प्रतिभा के साथ प्रेम और वासना पर बहसें होती हैं, सुधीर अपना प्रेम-भाव व्यक्त करता है पर प्रतिभा सुधीर से भी अधिक उलझी हुई है, अधिक अन्तर्द्वन्द्वों में खोई हुई। अनेक पुरुषों के सम्पर्क में आने के बाद भी प्रेम का अनुभव उसे किसी के साथ नहीं होता। सुधीर और प्रतिभा एक दूसरे के साथ 'इमोशनल' हैं। सुधीर प्रतिभा से कहता है—"मेरे जीवन में पूरे जीवन में कोई घटना पूरी नहीं घटी—घटना का अधूरापन बहुत त्रास देता है।" वह प्रतिभा से सब कुछ 'कन्फैस' करना चाहता है। सुधीर का यह अपराधबोध प्रतिभा को प्रिय है वह कहती है—"बहुत कम लोगों में गिल्ट से उद्दीप्त चेतना दिखाई देती है—अपराध सभी करते हैं पर गिल्ट और वह भी पूरे व्यक्तित्व पर छाया हुआ बस यही मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है (पृ० 131) प्रतिभा का.....यह झुकाव ही सुधीर की सम्पत्ति है और वह उसी के सानिध्य में अनुभव करता है कि जिन्दगी में कुछ हासिल किया जाए।"

इस प्रकार उपसंहार की कथा मानसिक अन्तर्द्वन्द्वों की कथा है—साथ ही नगरीय जीवन की यंत्रणा, लेखक वर्ग की गरीबी, बस्तियों की गन्दगी और यांत्रिक विसंगतियों की भी कथा है। दिल्ली शहर की कठिनाइयां व्यंग्य के साथ प्रस्तुत की गई हैं।

शिल्प की दृष्टि से संक्षिप्त वाक्यों और बिन्दुओं का प्रयोग पात्रों के अन्तर्द्वन्द्वों को उभारने के लिए किया गया है। कहीं-कहीं पर यह कोशिश अखबारी कतरनों जैसी लगने लगती है और कथासूत्र पाठकों के हाथ से छूट जाता है। अन्तर्द्वन्द्वों का यह कथानक टुकड़ों-टुकड़ों में बिखरा हुआ है। रजिया, आनन्द भटनागर की पत्नी की तस्वीरें पूरी नहीं बन पातीं क्योंकि वे स्मृतियां मात्र हैं जो सुधीर के मन को व्यथित करती हैं। भाषा की दृष्टि से प्रयोग कहीं-कहीं पर बड़ा लचर है जैसे 'एक दिन और लुढ़क गया', 'सिर के बाल तहाये हुए।' परन्तु कुछ प्रयोग सशक्त और सूक्ति जैसे भी हैं। जैसे—'शरीर का स्पर्श मन के लिए साबुन का काम देता है।'

सम्पूर्ण आयास सुधीर की कुण्ठा और अपराध बोध की त्रासदी हैं। अपराध बोध, सौन्दर्य बोध और नीति बोध तथा मृत्यु कामना के अर्न्तस्सूत्रों से बिंधा हुआ यह उपन्यास प्रबुद्ध पाठकों के लिए है क्योंकि यह बौद्धिक चेतना को झकझोरने में समर्थ है। 'उपसंहार' टुकड़ों-टुकड़ों में बिखर कर भी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की दृष्टि से एक सशक्त कृति है। ☐

डाक्टर ब्रजनारायण सिंह
बी–24
रामप्रस्थ
पो० चिकम्बरपुर
गाजियाबाद

दर्शन, साहित्य और आलोचना : लेखक : बेलिंस्की, हर्जेन, चर्नीशेव्स्की, दोब्रोल्युबोव, अनुवादक : नरोत्तम नागर, प्रकाशक : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या : 268, मूल्य : 15 रुपये।

प्रस्तुत पुस्तक में क्रांति पूर्व के रूसी विचारकों बेलिंस्की, हर्जेन, चर्नीशेव्स्की और दोब्रोल्युबोव के दर्शन, साहित्य और आलोचना के संबंध में व्यक्त विचार संकलित हैं। ये विचार देशकाल की सीमा से बाहर प्रत्येक साहित्य के संबंध में शाश्वत सत्य हैं। जिन समस्याओं से इन विचारकों को संघर्ष करना पड़ा, वे समस्याएं किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य में भी हैं। इस दृष्टि से यह पुस्तक एक अनूठी कृति है, जिसका अनुवाद नरोत्तम नागर द्वारा किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तक में चारों लेखकों की कृतियों को तीन भागों में बांटा गया है—उद्बोधन, स्फुट विचार और निबंध। प्रत्येक लेखक का जीवन वृत्त भी दिया गया है। पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट भी है जिसमें विभिन्न नामों का संक्षिप्त परिचय भी

दिया गया है। बेलिंस्की के शब्दों में "कला सत्य का सहज तात्कालिक अवगहन या छवियों में सोचने की प्रक्रिया है।" हर्जन का मत था—"मानव केवल चिन्तनशील ही नहीं क्रियाशील प्राणी भी है। कला वस्तुओं का चित्रण करती है, विज्ञान उनका ज्ञान प्रदान करता है। आज के युग की मांग है कि जो ज्ञान प्राप्त किया है, उसे वास्तविक जीवन में मूर्त किया जाए।" चर्नीशेस्की का कहना है—"पूर्णता यदि प्रकृति तथा जीवित मानव में नहीं है, तो कला और मानव की कृतियों में उसकी टोह करना बहुत दूर की चीज है।" दोब्रोल्युबोव का विचार था—"कला और दर्शन की संपूर्ण सार्थकता जनता की सोई शक्तियों को जाग्रत करने में है।"

यह पुस्तक हिन्दी साहित्य, दर्शन और आलोचना के अध्येताओं के लिए बहुत उपयोगी है। पुस्तक का मूल्य आम पाठक के लिए बहुत अधिक है। □

देवेन्द्र उपाध्याय

सृष्टि-विकास का मन्वन्तर-सिद्धान्त : लेखक : एस० एल० धनी, **प्रकाशक** : दिव्य दृष्टि प्रकाशन, 74518, पंचकूला, हरियाणा, **पृष्ठ संख्या** : 125, **मूल्य** : 30.00 रुपये।

सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको बने कितने वर्ष हुए? यह जिज्ञासा मनुष्य के सामने हर काल में रही है। विभिन्न धर्म गुरुओं और दार्शनिकों तथा वैज्ञानिकों ने इस सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न मत प्रकट किए हैं। न्यूटन दुनिया का आविर्भाव ईसा से 4004 वर्ष पहले मानता था। स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार सृष्टि की रचना 1 अरब 97 करोड़, 29 लाख 49 हजार वर्ष से कुछ पहले हुई थी। वैज्ञानिकों का मत है कि ब्रह्माण्ड 12 अरब वर्ष पहले बना था। सूर्य और पृथ्वी की आयु लगभग 4 अरब वर्ष है। प्राचीन भारतीयों के अनुसार सृष्टि की कुल आयु 4 अरब 32 करोड़ वर्ष है। इसमें से 1,97,29,49,079 वर्ष बीत चुके हैं। पुराणों में काल गणना का मापदण्ड मन्वन्तर माना गया है। श्री धनी ने इस पुस्तक में प्रमाण देकर सिद्ध किया है कि प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्त कोरी कल्पनाएं नहीं, वरन् ठोस सत्य हैं जिन्हें हमारे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने आदि काल में ही जान लिया था। पुस्तक में मन्वन्तरों के विश्लेषण और उनकी आधुनिक विज्ञान के साथ तुलना करके सिद्ध किया गया है कि उनमें अद्भुत समानता विद्यमान है। विद्वान लेखक ने पौरानिक मान्यताओं को अक्षुण्ण रखते हुए वैज्ञानिक रहस्यों को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए भी श्री धनी ने समय निकाल कर प्राचीन भारतीय मान्यताओं और आधुनिक विज्ञान के सिद्धान्तों में विद्यमान समानता को निष्कर्ष रूप में विद्वानों के सामने रखा है। मन्वन्तर सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिए विष्णु पुराण को आधार माना गया है जिसमें सृष्टि विकास की कहानी विस्तार के साथ दी गई है।

मन्वन्तर (मनु+अन्तर) का अभिप्राय दो मनुओं के बीच का अन्तर है। सृष्टि के संस्थिति काल में 14 मनु माने गए हैं जो एक अन्तराल के बाद एक-एक करके आते रहते हैं। मनुस्मृति के अनुसार यह काल मनुष्यों के 43,20,000 वर्षों का होता है। इसी को ब्रह्मा का $\frac{1}{14}$ दिन का मानते हैं। क्योंकि इस प्रकार के 14 कालों का योग ब्रह्मा का एक पूरा दिन होता है। इस प्रकार के 6 काल—स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, बीत चुके हैं, सातवां मन्वन्तर "वैवस्वत" चल रहा है। पुराणों के अनुसार अभी 7 अन्य मन्वन्तर बाकी हैं, जिन्हें भिन्न-भिन्न सावर्णियों की संज्ञा दी गई है। इनके पूरा होने पर वर्तमान सृष्टि अर्धकल्प के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पूरे हो जाएंगे और फिर उतनी ही अवधि वाली प्रलय होगी। तत्पश्चात् आगामी कल्प आरम्भ होगा।

पुराणों में वर्णित विष्णु के 10 अवतारों को विज्ञान सम्मत बताते हुए लेखक ने इन्हें सृष्टि के विकास के एक काल के प्रतीक के रूप में माना है जैसे "मत्स्य" का अर्थ मछली है, जो समुद्र के नाना प्रकार के प्राणियों का प्रतीक है। इससे अभिप्राय केवल इतना है कि पहले पहल जीव समुद्र में उत्पन्न हुए। इस पुस्तक में दिए गए अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्वन्तर सिद्धान्त का आधार वैज्ञानिक है। आधुनिक विज्ञान की सबसे अधिक मान्य 'प्रोटो प्लेनेट थ्यूरी' से मन्वन्तर सिद्धान्त काफी मेल खाता है और जहां दोनों सिद्धान्तों का मेल नहीं है, उसके सम्बन्ध में यह कहना आसान नहीं है कि पुराणों का मत ठीक है अथवा आधुनिक विज्ञान का मत गलत है।

धनी जी के इस कार्य ने भारत में भी पुराणों की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित की है। किंतु पूर्णरूप से यह कहना सही नहीं है कि पुराणों में वर्णित गाथाएं पूर्णतया विज्ञान सम्मत हैं। फिर भी इनकी यह मान्यता और इनका प्रतिपादित सिद्धान्त पाश्चात्य देशों के लिए एक चुनौती है। पुस्तक निस्सन्देह उपयोगी है। □

डा० परमानन्द पांचाल
ए-6 सिद्धार्थ बस्ती जंगपुरा, नई दिल्ली-110014

छोटा परिवार

सुखी परिवार

केन्द्र के समाचार

प्रौद्योगिकी को खेतों तक ले जाने के उपाय

पुनर्गठित कृषि प्रसार प्रणाली पर मैसूर में एक तीन दिवसीय कार्यशाला हुई जिसमें समुचित प्रौद्योगिकी के वितरण के विभिन्न उपायों पर निर्णय लिया गया। इस विचार गोष्ठी में विश्वविद्यालय के संसाधन कार्मिकों और राज्यस्तरीय अधिकारियों के बीच समन्वय के द्वारा अनुसंधान को और कारगर ढंग से प्रसार के साथ जोड़ने की सिफारिश की गई। कार्यशाला में कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार प्रदेशों ने भाग लिया। विश्व बैंक के कृषि प्रसार परामर्शदाता डा० डी० बेनोर, कर्नाटक कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डा० आर० द्वारकानाथ अतिरिक्त सचिव (फसल), श्री आर०सी० सूद और कृषि सचिव श्री जी० वी० विश्वनाथ ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। इस समय देश के बारह प्रमुख राज्यों में विश्व बैंक की मदद से पुनर्गठित कृषि प्रसार प्रणाली चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान केन्द्रों में उपलब्ध जानकारी का कारगर समयबद्ध प्रबंध प्रणाली के द्वारा खेतों तक पहुंचाना है।

सेना में विकलांगों के लिए नौकरियां

थल सेना में "ग" और "घ" वर्ग के असैनिक पदों के तीन प्रतिशत पद विकलांगों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। आरक्षित तीन प्रतिशत पद नेत्रहीनों, बहरों और विकलांग लोगों के लिए एक-एक प्रतिशत होंगे।

ऐसे विकलांग लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से अगरतल्ला, अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, बम्बई, कलकत्ता, चंडीगढ़, गोहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नई दिल्ली, पटना, शिमला और त्रिवेन्द्रम में विशेष रोजगार केन्द्र खोले गए हैं। इन विशेष रोजगार केन्द्रों के अतिरिक्त 11 स्थानों पर व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र भी कार्य कर रहे हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की क्षमता का मूल्यांकन करके उनके लिए उपयुक्त काम सुझाते हैं।

भारत में पशु बीमा

सन् 1977 की पशु गणना के अनुसार भारत में 24 करोड़ पशु हैं जिनमें से केवल 10 प्रतिशत बीमा करने लायक हैं। आम बीमा निगम की सहयोगी कम्पनियों ने उनका बीमा का कारोबार करने के लिए एक देहाती क्षेत्र दल बनाया है। अप्रैल, 1976 से एक मार्केट समझौता चालू है जिसके अनुसार प्रीमियम की दरें तथा बीमा पालिसी की शर्तों के मानक तय कर दिए गए हैं। इसके अन्तर्गत दुधारु गायें और भसें, बछड़े, सांड, और विदेशी नस्लों के पशु और देशी बैलों का बीमा होता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन पशुओं को एक वर्ष तक किसी बीमारी तथा दुर्घटना में मृत्यु होने से बीमा का लाभ मिलता है। इसमें बाढ़, तूफान तथा अकाल से मृत्यु शामिल है। कुछ हालतों में बीमा का लाभ नहीं मिलता जैसे बीमा करवाने से पहले ही लगी बीमारी का इलाज न करवाने से मृत्यु, स्थायी अथवा अस्थायी किसी प्रकार की आंशिक अपंगता और पूर्णतः स्थायी अपंगता जिससे दुधारु पशु दूध देने के लायक बिल्कुल न रहे।

गांवों को बिजली

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 19 राज्यों में 500 नई परियोजनाओं के लिए 116 करोड़ रुपये से अधिक की रिकार्ड ऋण सहायता की मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं से 7700 से अधिक गांवों और 1.3 लाख से अधिक सिंचाई पम्पसेटों को बिजली प्रदान की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में लगभग 1.2 लाख घरेलू और व्यापारिक और 6700 से अधिक औद्योगिक कनेक्शन दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं में से 150 परियोजनाएं जिनके लिए 60 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण सहायता दी जाएगी, पिछड़े क्षेत्रों के लिए हैं।

विशेष कृषि परियोजना कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से लगभग 250 योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस कार्यक्रम के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम तथा वाणिज्य बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तीय व्यवस्था की जा रही है। संभावित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के अन्तर्गत 26 करोड़ रुपये से अधिक वित्तीय सहायता से एक लाख से अधिक पम्पसेटों को बिजली दी जा सकेगी।

राजस्थान के सूखाग्रस्त इलाकों को पेयजल

सेना 2 जून, 1981 से राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर सूखाग्रस्त जिलों में पानी पहुंचाने के काम में लगी हुई है। यहां पानी 10 से 97 कि०मी० दूर स्थित क्षेत्रों से लाया जा रहा है और अब तक सात लाख लिटर पानी वितरित किया जा चुका है।

बाड़मेर के 59 गांवों और जैसलमेर के 17 गांवों को जल वितरण के उद्देश्य से 9 भागों में बांटा गया है।

इन जिलों के निवासियों ने सेना द्वारा दी गई सहायता की सराहना की है।

ग्रामीण मेधावी बच्चों के लिए छात्रवृत्तियां

केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय ने "सेकेण्डरी स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना" के अंतर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्ति दर को बढ़ाने का निश्चय किया है।

योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियां मिडिल स्तर से प्रारम्भ होती हैं तथा सेकेण्डरी स्तर शिक्षा पर समाप्त होती हैं। संशोधित दरें जोकि अगले महीने से लागू होंगी, उनके अंतर्गत छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को 100 रु० प्रति माह, दिन में अध्ययन करने वाले कक्षा ग्यारह तथा बारह के विद्यार्थियों को 60 रु० प्रति माह तथा कक्षा सात से दस तक दिन में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को 30 रु० प्रति माह की छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। इस योजना के अंतर्गत वह सभी विद्यार्थी जिनके नाम एक जुलाई, 1981 तक नामावलि में दर्ज हो चुके होंगे, संशोधित दरों से छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।

गेहूं की खरीद में किसानों का पूरा सहयोग

सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद का काम जोर-शोर से चल रहा है और प्रतिदिन मंडियों में गेहूं की आवक के साथ-साथ सरकार द्वारा खरीद की मात्रा बढ़ रही है। गेहूं की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 30 मई को दिल्ली में प्राप्त सूचना के अनुसार 52 लाख 53 हजार टन से भी अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष भी इस अवधि के दौरान लगभग इतना ही गेहूं खरीदा गया था। अब मंडियों से प्रतिदिन डेढ़ लाख टन गेहूं खरीदा जा रहा है। वर्तमान खरीद के रुख को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बाजार में और अधिक गेहूं आएगा और सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीद भी बढ़ेगी।

परिवार नियोजन के लिए सहायता

भारत और नार्वे के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत 50 उप-जिला अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा और उनमें परिवार कल्याण कार्यक्रम को आरंभ किया जाएगा। नार्वे वर्ष 1981–83 के दौरान इस योजना के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपये (2.30 करोड़ नार्वे की मुद्रा) की सहायता देगा।

नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए गठित एजेंसी भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता दे रही है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों का स्तर ऊंचा करना है ताकि वे प्रसूति और गर्भपात से संबंधित मरीजों का उचित ढंग से इलाज कर सकें।

नार्वे की सरकार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 33 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गई है। नार्वे द्वारा दी जा रही सहायता का उपयोग मुख्य रूप से देश में सभी जिला अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने में किया जाएगा। □

बच्चों के लिए सर्वोत्तम उपहार

सुन्दर वस्तुएं—हमारी विरासत की एक झलक
ले० विद्या दहीजया
भारतीय कला विरासत के विषय पर बच्चों के लिए लिखी गई एक विशेष पुस्तक। पृष्ठ-62 . 12.50

जंगल के नागरिक—ले० राजेन्द्र अवस्थी
वन्य जीव जन्तुओं पर 24 कहानियों का एक रोचक संग्रह। पृष्ठ-70 . . . 6.00

गीत भारती—ले० सोहनलाल द्विवेदी
द्विवेदी जी की यह अनुपम कृति बाल पाठकों को प्रेरित करेगी, गुदगुदाएगी तथा आगे बढ़ने का संबल बनेगी। पृष्ठ-20 . . . . . . 6.00

मोर—हमारा राष्ट्रीय पक्षी—ले० अजित कुमार मुखर्जी
इस पुस्तक में लेखक ने भारत के पक्षियों में सबसे भव्य, आकर्षक और रंग-बिरंगे राष्ट्रीय पक्षी मोर की जानकारी रोचक भाषा में प्रदान की है। पृष्ठ-40 . . . . . 6.00

कबूतर—ले० रामेश बेदी
इस पुस्तक में लेखक ने इस पक्षी के गुणों तथा स्वभाव के बारे में बच्चों के लिए रोचक जानकारी प्रदान की है। पृष्ठ-64 . . . . . . 5.00

सरल पंचतंत्र—खण्ड-I—ले० विष्णु प्रभाकर
पशु-पक्षियों के विषय में रोचक कहानियां सरल भाषा में प्रस्तुत की गई हैं। पृष्ठ-82 . 5.00

जीव घड़ियां—ले० मनोरमा जफा

पेड़-पौधों और पशु-पक्षियों की जानकारी पर एक विशेष पुस्तक 5.00

कहानी आजकल

सुप्रसिद्ध हिन्दी मासिक 'आजकल' में समय-समय पर प्रकाशित कहानियों का लोकप्रिय संग्रह। पृष्ठ-342 . . . . 12.00

लोरिक चन्दा—ले० चन्द्रशेखर मिश्र

लोकप्रिय लोक काव्य की मूल कथा बच्चों के लिए। पृष्ठ-31 . . . . . . 4.50

भारत की वीर गाथाएं—ले० शिवकुमार गोयल

महाभारत से लेकर 1922 तक के ऐसे अनेक वीर चरित्रों का उल्लेख है जो अन्याय के विरुद्ध अपनी जान की बाजी लगाने में तनिक भी न हिचके। पृष्ठ-66 . . . . . . 7.00

तिरुक्कुरल—ले० डा० रवीन्द्रकुमार सेठ

प्राचीन तमिल साहित्य के गौरव काव्य तिरुक्कुरल पर विवरणात्मक पुस्तक। पृष्ठ-50 . 10.00

ज्यादा का चक्कर—ले० आशापूर्णा देवी

बंगला साहित्य में प्रकाशित एक कहानी संग्रह। पृष्ठ-90 . . . . . . 8.00

आंवला दान—ले० अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकर

पुस्तक में 20 कहानियां संग्रहीत हैं, जिनकी भाषा सरल, सुगम और प्रायः बोली जाने वाली हिन्दी रखी गई है। पृष्ठ-82 . . . . . 8.00

अनजाने में हुए आविष्कार—ले० शुकदेव प्रसाद

यह बच्चों के लिए एक कथा संग्रह है जो रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक साहित्य से परिपूर्ण है। पृष्ठ-48 7.50

महाराणा प्रताप—ले० रघुबीर सिंह

इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप के जीवन-वृत्त को यथासंभव प्रामाणिक तथा परिपूर्ण करने का भरसक प्रयास किया गया है। पृष्ठ-86 . . . . 8.00

ईसप की गीत कथाएं—भाग-2—ले० निरंकार देव सेवक

इन कहानियों में पंचतंत्र और हितोपदेश की भांति पशु-पक्षियों की कथाओं द्वारा अच्छी शिक्षा दी गई है। पृष्ठ-132 . . . . . . 12.00

चतुर्दशी

चौदह भारतीय भाषाओं की कहानियों का संग्रह। पृष्ठ-360 . . . . . 14.00

किस्सा चार दरवेश—ले० अमीर खुसरो

किस्सा चार दरवेश प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो की पुस्तक 'बागे-बहार' का अनुवाद है। पृष्ठ-37 6.25

ज्ञानी चूहा—ले० मन्मथनाथ गुप्त

इस पुस्तक में बच्चों के लिए अतीव रोचक, मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानियां दी गई हैं। पृष्ठ-48 . 6.00

डाक खर्च मुफ्त। 10 रु० से कम के आदेश पर पंजीकरण शुल्क अतिरिक्त भेजिए। पुस्तकें स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं से लें या सम्पूर्ण साहित्य की जानकारी के लिए लिखें :—

व्यापार व्यवस्थापक,
प्रकाशन विभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
सुपर बाजार (दूसरी मंजिल), कनाट सर्कस, नई दिल्ली।
8, एस्प्लेनेड ईस्ट, कलकत्ता।
कामर्सहाउस (दूसरी मंजिल), करीमभाई रोड, बैलर्ड पीयर, बम्बई।
लोकल लाइब्रेरी आडिटोरियम, 736 अन्ना सलाइ, मद्रास-600 002।
बिहार स्टेट को-आपरेटिव बैंक बिल्डिंग, अशोक राजपथ, पटना।
प्रैस रोड, त्रिवेन्द्रम।
10-बी, स्टेशन रोड, लखनऊ।

जितने से जीवन का काम चल सके उतने पर ही इन्सान का अधिकार होना चाहिए। जो इससे अधिक चाहता है वह चोर है और दण्ड पाने योग्य है।

—श्रीमद्भागवत

RN 708/57
P & T Regd. No. D(DN 98
Licensed Under U(D)-55 to
Post without pre-payment at Civil Lines Post Office Delhi

जोश का दरिया उमड़ रहा

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित